पंजीयन संख्या : 68939/98

ज्ञान तत्व

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

JAN 2025

अंक - 2

463

3.समाज और राज्य के समाजशास्त्रीय सिद्धांत: 1

इसलिए व्यक्ति को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा समाज को भी। इन दोनों के अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते हैं तथा व्यवस्था की कोई भी इकाई इन दोनों के प्रकृति प्रदत्त अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। आदर्श सामाजिक व्यवस्था में समाज सर्वोच्च होता है, धर्म और राज्य समाज के मैनेजर।

१६. बेदाग मनमोहन सिंह और काँटों भरी कुर्सी: 1

२१. संघ और रामभद्राचार्य विवाद: 1

MARGDARSHAK

सिंहावलोकन

महिला और पुरुष के बीच सम्बन्धों पर हो गंभीर चिंतन :

बलात्कार फिर हत्या के लिए दोषी कौन?:
सेक्स की भूख और पूर्ति के बीच संतुलन:

5

संसद में संविधान पर चर्चा ने खोली 'संविधान संशोधनों' की पोल :

6

हम कौन सा संविधान मानें नेहरु इंदिरा या संविधान सभा के?:

समाज और राज्य के समाजशास्त्रीय सिद्धांत:

राज्य अतिक्रमणकारी की तरह समाज को कमजोर कर रहा:

7

धर्म और जाति की ख़त्म हो संवैधानिक मान्यता:

12

संघ और रामभद्राचार्य विवाद:

धार्मिक कट्टरवाद हर स्थिति में खतरनाक:

13

गाँधी और आज के गाँधी में जमीन आसमान का अंतर :

16

धक्कामुक्की आज के गाँधी की विशेषता:

पत्र व्यवहार का पता

बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल

9617079344

mail : Support@margdarshak.info

अपनों से अपनी बात

मेरा लक्ष्य है सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन :

मैं प्रतिदिन सामाजिक, संवैधानिक और राजनीतिक विषय मिलाकर तीन पोस्ट लिखता हूं। प्रतिदिन रात को 8:00 बजे से 9:30 बजे तक मैं अपने अन्य साथियों के साथ कुछ सामाजिक विषयों पर स्वतंत्र विचार मंथन भी करता हूं। इसके साथ-साथ मैं अपने अन्य साथियों को सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित भी करता हूं। इन सब का मेरा कुछ उद्देश्य है। मैं फेसबुक पर अथवा व्हाट्सएप पर मनोरंजन के लिए चर्चा नहीं करता, मैं टाइम पास नहीं कर सकता। मेरा एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य है कि समाज में जो समाज विरोधी और अपराधी तत्व हैं, उन सब पर नियंत्रण करने वाली सामाजिक इकाइयों को मैं कुछ मदद कर सकूं। इस मदद को ही मैं व्यवस्था परिवर्तन मानता हूं। मेरे अपने विचार में वर्तमान समय में सबसे अधिक गलत दिशा राजनीति की है। सत्ता की राजनीति पूरे समाज व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, वह न तो अपराधियों पर नियंत्रण कर रही है और न समाज को उस दिशा में करने दे रही है। इसलिए मैंने अपने सब साथियों के साथ मिलकर दो दिशाओं में कार्य करना शुरू किया है। एक दिशा है कि राजनीति पर समाज का नियंत्रण मजबूत हो, अर्थात राजनीति की शक्ति घटे और समाज की बढ़े। दूसरा प्रयत्न है कि समाज अपनी बुराइयों को दूर करें। हम अपनी परंपराओं से चिपके नहीं रह सकते, हमें अपनी परंपराओं में संशोधन करना ही होगा और यह संशोधन गंभीर विचार मंथन के बाद होना चाहिए। इन दोनों कार्यों को मिलाकर मैं इस पूरे प्रयत्न को व्यवस्था परिवर्तन नाम दिया है। इस तरह हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, वैश्विक सब प्रकार की व्यवस्थाओं पर विचार मंथन करके एक जन जागृति पैदा करना चाहते हैं, जिससे समाज में दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए अच्छी प्रवृत्तियों के लोग आगे आ सकें।

क्या हो हमारी नीति :

हम भारत के लोग तीन मामलों में उलझे हुए हैं। हम यह नीति साफ नहीं कर पा रहे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वे तीन मामले हैं सांप्रदायिकता, जातिवाद और महिला-पुरुष संबंध। इन तीनों मामलों में साम्यवाद, इस्लाम और नेहरू परिवार अपनी नीति साफ कर चुके हैं। यह तीनों मिलकर इस्लाम को बढ़ावा देते हैं, यह तीनों मिलकर जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं, यह तीनों मिलकर महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को एकजुट करना चाहते हैं। यह तीनों एकजुट होकर अपनी नीतियों पर लगातार सक्रिय हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। हम भारत के लोग क्या मुसलमान के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करें, या हम जातिवाद के विरुद्ध सवर्ण को एकजुट करें, या महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध पुरुषों को एकजुट करें? और यदि नहीं, तो फिर हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए? क्योंकि यह बात साफ दिख रही है कि साम्यवाद, इस्लाम और नेहरू परिवार मिलकर लगातार सांप्रदायिक, जातीय और लैंगिक भेदभाव को मजबूत करने में सक्रिय हैं। समाज में

"...दो दिशाओं में कार्य करना शुरू किया है। एक दिशा है कि राजनीति पर समाज का नियंत्रण मजबूत हो, अर्थात राजनीति की शक्ति घटे और समाज की बढ़े। दूसरा प्रयत्न है कि समाज अपनी बुराइयों को दूर करें। हम अपनी परंपराओं से चिपके नहीं रह सकते, हमें अपनी परंपराओं में संशोधन करना ही होगा और यह संशोधन गंभीर विचार मंथन के बाद होना चाहिए।..."

इन तीनों के प्रयत्नों से टकराव बढ़ रहा है। आदर्श स्थिति तो यह होती कि हम धर्मनिरपेक्षता, जातीय सद्भाव और महिला-पुरुष टकराव को किसी तरह सद्भाव में बदल देते, लेकिन साम्यवाद, इस्लाम और नेहरू परिवार हमारी आदर्श व्यवस्था को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में ऐसा दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार और सरकार से जुड़े अन्य लोग कुछ अन्य मार्गों पर भी सोच रहे हैं, लेकिन कोई साफ मार्ग दिख नहीं रहा है। हम लोगों को किसी न किसी एक मार्ग पर मिलकर आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि इन तीनों का मिला-जुला षड्यंत्र हमारी पूरी सामाजिक समरसता को बर्बाद कर देगा। सांप्रदायिकता के समाधान के लिए तो समान नागरिक संहिता को एक अच्छा मार्ग समझा जा रहा है। सरकार इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ भी रही है। नेहरू परिवार दिन-रात छाती पीट रहा है कि किसी तरह मुस्लिम सांप्रदायिकता को बचा लिया जाए, लेकिन अब ऐसी संभावना नहीं दिखती है। फिर भी जातिवाद और लिंग भेद हिंदू मामलों पर अभी कोई साफ मार्ग दिख नहीं रहा है। फिर भी मैं चाहता हूं कि हम लोग इन दोनों मार्गों पर भी बैठकर विचार करें कि जातीय कटुता और लिंग भेद का क्या समाधान किया जाए।

बजरंग मुनि

प्रधान संपादक

अपनों से अपनी बात

समस्यायों के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले:

23 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र एक गंभीर विषय पर चर्चा। यह बात साफ हो चुकी है कि दुनिया ठीक दिशा में नहीं जा रही है। हमें इसके समाधान पर सोचना ही होगा। इसलिए हम लोग प्रतिदिन सिर्फ समस्याओं की चर्चा नहीं करते, बल्कि समस्याओं के कारण भी खोजते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। समस्याएं कई प्रकार की हैं: आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, धार्मिक, राजनीतिक भी हैं, संवैधानिक भी हैं, और सब प्रकार की समस्याओं पर हमें अलग-अलग सोचना पड़ता है। इन सब सामूहिक समस्याओं के समाधान को ही हम व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। वैसे तो वर्तमान समय में व्यवस्था परिवर्तन का एकमात्र समाधान है लोकस्वराज प्रणाली। लोकस्वराज प्रणाली अन्य सभी समस्याओं के समाधान में सहायक है, किंतु हम यदि अलग-अलग विचार करें तो सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का एक समाधान है कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि। यदि डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला, गैस का मूल्य ढाई गुना बढ़कर प्राप्त राशि पूरी आबादी में बराबर-बराबर बांट दी जाए, तो सभी आर्थिक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। इसी तरह व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा का बढ़ते जाना बहुत घातक है। इस समस्या का सिर्फ एक समाधान है संयुक्त परिवार प्रणाली। यदि संयुक्त परिवार प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दे दी जाए, तो व्यक्ति के स्वभाव से स्वार्थ और हिंसा को रोका जा सकता है। इसी तरह सामाजिक समस्याएं हैं। इस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान है समान नागरिक संहिता। यदि समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, तो सांप्रदायिकता, जातिवाद, महिला-पुरुष टकराव तथा अन्य इस प्रकार की अनेक समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इसी तरह अपराधों पर रोकथाम के लिए यदि अपराधों की परिभाषा सुधार दी जाए और राज्य पर सुरक्षा और न्याय का दायित्व घोषित कर दिया जाए, स्वैच्छिक कर्तव्य नहीं, तो आसानी से अपराध नियंत्रण हो सकता है। मेरे विचार से यह चार-पांच मौलिक बातें हैं, जिनको लागू करके हम दुनिया की इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हम आप एक साथ बैठकर इन समस्याओं पर खुले मन से विचार करें।

आज प्रातः कालीन सत्र में मैंने समाज की कुछ समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की थी। मैंने यह लिखा था कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान है लोकस्वराज्य, आर्थिक समस्याओं का समाधान है कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि, सामाजिक समस्याओं का समाधान है समान नागरिक संहिता, व्यक्ति के स्वभाव में बढ़ती जा रही स्वार्थ और हिंसा का समाधान है संयुक्त परिवार को संवैधानिक मान्यता, और आपराधिक समस्याओं का समाधान है सत्ता को अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी देना। इन सब का संयुक्त प्रयास ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। मेरे इस कथन पर कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उठाया कि यह विषय बहुत बड़ा है। इस प्रकार इतने मुद्दों को लेकर कोई भी न जन जागरण संभव है, न कोई आंदोलन हो सकता है, क्योंकि आंदोलन तो पिन पॉइंट होता है और मैं कई-कई मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस संबंध में मैंने गंभीरता से सोचा है। तीन बातें होती हैं। एक होती है विचार मंथन, एक होता है जन जागरण, और तीसरा होता है आंदोलन। विचार मंथन के लिए यह सभी मुद्दे गंभीर हैं और सब पर विचार मंथन होना चाहिए। इनके अतिरिक्त भी कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर हम विचार मंथन करें। जन जागरण के लिए तो सिर्फ एक ही विषय हो सकता है और वह है लोक स्वराज। लेकिन यदि कोई आंदोलन खड़ा करना हो, तो आंदोलन का विषय जन जागरण से भी अधिक केंद्रित होना चाहिए और मेरे विचार से वह विषय हो सकता है तंत्र मुक्त संविधान। अर्थात संविधान संशोधन के लिए तंत्र के असीम अधिकारों के साथ-साथ एक अलग से भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका हो और वह इकाई तंत्र से नियंत्रित न हो, वह लोक के द्वारा स्थापित हो। यदि तंत्र मुक्त संविधान पर किसी प्रकार का आंदोलन होता है, तो मेरे विचार से सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग खुल सकता है, बाधाएं दूर हो सकती हैं। आंदोलन कौन करेगा, कैसे करेगा, यह तो आंदोलन के लोग तय करेंगे। मैं तो सिर्फ अपना सुझाव दिया है।

मेरे जीवन की तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ और मेरा जन्मदिन:

कल 25 दिसंबर मेरा जन्मदिन था। हम लोग आमतौर पर जन्मदिन को बहुत महत्व नहीं देते, फिर भी हमारे कुछ मित्रों ने शुभकामनाएं दीं, मेरी 100 वर्ष की उम्र की इच्छा व्यक्त की। मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरे मित्रों की इच्छाएं पूरी हों। 25 दिसंबर मेरा जन्मदिन माना जाता है। वैसे सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जन्मदिन 1 जनवरी 1939 है, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक कभी-कभी बदलता रहता है, फिर भी 25 दिसंबर को मानकर चलते हैं। मैंने अपने जन्मदिन को कभी बहुत महत्व नहीं दिया, लेकिन मेरी जानकारी में तीन कार्य मैंने 25 दिसंबर के आधार पर पूरे किए। 25 दिसंबर 1984 को मैंने राजनीति पूरी तरह छोड़ दी और उसके बाद कभी किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखा। मैं राजनीतिक आधार पर स्वतंत्र हो गया। 25 दिसंबर 2008 को ही मैंने पारिवारिक संपत्ति और परिवार से संबंध का त्याग कर दिया था, उसके बाद मेरा पारिवारिक संपत्ति या परिवार व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहा। 25 दिसंबर 2020 को ही मैंने पूर्ण सन्यास स्वीकार कर लिया, अब उसके बाद मैं सामाजिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो गया। 2020 के बाद मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं, संस्थागत जिम्मेदारियों से भी मुक्त हूं और अपने स्वतंत्र विचार आप लोगों को देता रहता हूं। मुझे बधाई देने वालों को तथा अन्य सभी मित्रों को मैं यह आश्वासन देता हूं कि मैं अपने भविष्य के जीवन में भी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा, जिससे आपको कभी सर झुकाना पड़े।

"प्रयोग" फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ संदेश प्रदाता फिल्म का पुरस्कार:

यह हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश बलरामपुर जिले और रामानुजगंज शहर के लिए गौरव की बात है कि लोक स्वराज नगर रामानुजगंज की घटनाओं पर आधारित फिल्म प्रयोग को गोवा फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ संदेश प्रदाता फिल्म का सम्मान प्राप्त हुआ है। यह प्रयोग फिल्म हमारे बलरामपुर जिले के कलाकारों ने मुंबई के फिल्म निर्माता गोविंद मिश्रा जी के निर्देशन में बनाई है और इस फिल्म की कहानी बुलंदशहर के नरेंद्र सिंह जी ने लिखी है। यह कहानी गांधी विचारों पर आधारित है, लेकिन रामानुजगंज शहर की घटी हुई सत्य घटनाओं को ऐतिहासिक संदेश देती है। इस पूरी फिल्म में कोई भी कथानक असत्य नहीं है, फिर भी यह पूरे भारत के लिए एक पहला प्रयोग है जब कोई इस तरह का राष्ट्रीय संदेश देने वाली फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मैं अपने कलाकारों, कहानी लेखक और निर्देशक को इस सफलता के लिए बधाई देता हूं।

महिला और पुरुष के बीच सम्बन्धों पर हो गंभीर चिंतन :

17 दिसंबर प्रातःकालीन सत्र सामाजिक चर्चा। दुनिया में आपसी टकराव के तीन कारण बताए जाते हैं, इन तीनों में जर जोरू जमीन अर्थात एक महत्वपूर्ण कारण महिला-पुरुष संबंधों को बताया गया है। हजारों वर्षों के बाद भी आज यह बात साफ दिखती है कि वर्तमान भारत में महिला-पुरुष संबंध टकराव के महत्वपूर्ण कारण के रूप में स्थापित हो गया है। यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि प्राकृतिक रूप से महिला और पुरुष के संबंधों की तुलना आग और पेट्रोल से की जाती है या आग और बारूद से भी करते हैं। स्पष्ट है यदि आग और पेट्रोल दोनों की दूरी घटाई जाएगी तो ब्लास्ट का बहुत खतरा रहेगा और यदि दोनों की दूरी बहुत अधिक बढ़ा दी जाएगी तो सृजन रुकेगा। दोनों की दूरी संतुलित रहनी चाहिए, नियंत्रित रहनी चाहिए, अनियंत्रित नहीं। वर्तमान भारत में आंख बंद करके महिला और पुरुष के बीच की दूरी को घटाया जा रहा है और यह जो दूरी घट रही है, उसके कारण बलात्कार बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, सामाजिक व्यवस्था टूट रही है। सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसे कैसे रोके क्योंकि इस दूरी को संतुलित करना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम नहीं है। इस दूरी को तो परिवार ही संतुलित कर सकता है। अर्थात जब किसी परिवार में ऊपर से लेकर बच्चों तक की पीढ़ियों के महिला और पुरुष एक साथ रहते हैं, तो परिवार ही उन्हें प्रशिक्षित भी करता है, परिवार ही उन्हें दूरी बढ़ने की शिक्षा भी देता है और परिवार ही उन्हें दूरी घटाने की छूट भी देता है। इसका अंतिम निर्णय परिवार करता है। लेकिन जब से परिवार व्यवस्था को कमजोर करके सारा काम राज्य व्यवस्था ने अपने पास ले लिया, तब से ही यह महिला-पुरुष संबंध असंतुलित होते जा रहे हैं। 2% आधुनिक महिलाओं के दबाव में सरकार ऐसे-ऐसे कानून बना रही है जो आज में घी डालने का काम कर रहे हैं। आज तक 75 वर्षों में कोई भी सरकार यह साफ नहीं कर सकी कि वर्तमान परिस्थितियों में महिला और पुरुष के बीच की दूरी घटाना उचित है या बढ़ाना उचित है या संतुलित रखना उचित है। जब तक आप कोई नीति नहीं बना सकते, तब तक आपको इस व्यवस्था से खिलवाड़ क्यों करना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की दूरी घटाई गई तो बलात्कार बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं। इसके लिए छाती पीटने से समाधान नहीं होगा, समाधान तो हमें बैठकर करना पड़ेगा। मेरा यह निवेदन है कि आग और पेट्रोल की दूरी को बिना किसी योजना के घटाते जाना बहुत ही घातक होगा। उसके लिए बैठकर योजना बनाने की जरूरत है और उस योजना का महत्वपूर्ण भाग परिवार व्यवस्था से ही शुरू हो सकता है।

परिवार हो संवैधानिक इकाई: 18 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र महिला-पुरुष संबंधों पर चर्चा। यह बात सच है कि महिला और पुरुष दोनों के संयुक्त प्रयास से ही बच्चे का जन्म होता है। बच्चा जन्म लेने के बाद कितना उस पर माता-पिता का अधिकार होना चाहिए, कितना परिवार का होना चाहिए, कितना सरकार का होना चाहिए और ... कितना समाज का होना चाहिए, यह बात हमेशा विवादास्पद रही है। माता-पिता अपना अधिकार मानते हैं, परिवार, सरकार और समाज सभी अपना-अपना अधिकार मानते हैं। सबसे बड़ा विवाद तब पैदा होता है जब माता और पिता के बीच में विवाद हो जाता है और दोनों ही अपना-अपना दावा करते हुए अल्पवयस्क बच्चों को विवादास्पद बना देते हैं। इस समस्या का हमें कोई न कोई समाधान निकालना ही चाहिए। मेरे विचार से इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि जन्म लेने के बाद बच्चे पर माता-पिता का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर पूरे परिवार का अधिकार होना चाहिए। परिवार एक रजिस्टर्ड इकाई होनी चाहिए। जो महिला जिस परिवार की सदस्य है, उसका बच्चा उसी परिवार का माना जाए। उसका पिता कौन है, यह खोजने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी पांच पीढ़ियों में किसी प्रकार की मिलावट न आई हो, इसलिए डीएनए करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों पर पिता का कोई अधिकार नहीं होगा, जन्म के बाद मां का भी कोई अधिकार नहीं होगा। जन्म के बाद बच्चा परिवार की संपत्ति माना जाएगा, इससे अनेक विवाद सुलझ सकते हैं। किसी माता-पिता के यदि केवल लड़कियां हैं, तब भी कोई टकराव नहीं होगा। किसी माता-पिता के एक भी संतान नहीं है, फिर भी समस्या सुलझ जाएगी क्योंकि उस परिवार में जन्म लेने वाले सभी बच्चे उस परिवार के माने जाएंगे। मेरा यह एक सुझाव है, आप इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

बलात्कार फिर हत्या के लिए दोषी कौन? : कल रायपुर शहर में एक गरीब मोहल्ले में एक विचित्र और सोचनीय घटना घटी है। एक अर्ध पागल गरीब महिला के साथ दो-तीन युवकों ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उन तीनों को खतरा महसूस हुआ और उन तीनों ने मिलकर उस महिला की हत्या कर दी। 10-15 दिनों तक ना उस महिला की पहचान हो पाई, न कोई केस बन सका। अब उस महिला की पहचान भी हो गई है और केस भी बन गया है। तीन-चार लोग पकड़े भी गए हैं। मुख्य सवाल यह उठता है कि किसी ऐसी अर्ध विक्षिप्त गरीब महिला के साथ बलात्कार क्यों किया गया? बलात्कार हुआ तो उसकी हत्या क्यों हुई? क्या इसका समाधान बलात्कार करने वालों को फांसी है या कहीं और इसके समाधान पर हमें अलग से विचार करना पड़ेगा? मेरे विचार से बलात्कार जो हुआ उसमें भी कहीं न कहीं हमारी सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था दोषी है। हत्या हुई, उस हत्या में भी संवैधानिक व्यवस्था दोषी है। सीधा सा प्रश्न खड़ा होता है कि सेक्स को एक प्राकृतिक भूख न मानकर समाज या कानून बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यदि सेक्स की भूख और उसकी आपूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर होगा तो बलात्कार भी बढ़ेंगे, आत्महत्याएं भी बढ़ेंगी, हत्याएं भी बढ़ेंगी। इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के अपराध बढ़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बलपूर्वक सेक्स रोका गया,तो उससे उसकी मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सीधा सा प्रश्न खड़ा होता है कि समाज ऐसा संतुलन क्यों नहीं बना पा रहा है? निर्भया कांड के बाद जिन न्यायाधीश वर्मा को यह कार्य दिया गया था, वह साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्हें समाजशास्त्र या समाज विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने जो भी मनमानी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का आज दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। उस समय यदि बलात्कार को आधार बनाकर इसके कारण की खोज की गई होती, तो आज इस तरह बलात्कार नहीं बढ़ते, इस तरह आज हत्याएं नहीं बढ़तीं। आप फांसी देकर समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि समस्याओं पर नहीं सोचा गया, तो लगातार आप हत्याएं भी बढ़ेंगी, महिला-पुरुषों के बीच में टकराव भी बढ़ेंगे और बलात्कार तो तेजी से बढ़ना निश्चित है। आप इसे नहीं रोक सकते और साथ में जे एस वर्मा के कानून के बाद हत्याएं भी बढ़ना स्वाभाविक है। मेरा आप सबसे फिर निवेदन है कि आप महिला-पुरुष संबंधों पर फिर से गंभीरता से विचार करें। प्राकृतिक आवश्यकता को बंदूक से नहीं रोका जा सकता।

सेक्स की भूख और पूर्ति के बीच संतुलन: कल दोपहर मैं महिला-पुरुष संबंधों पर लिखा था। मुझे आज सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरे एक फेसबुक मित्र ऋषि बबली ने मुझे यह कहकर पुरानी बात याद दिला दी कि मैं बहुत वर्ष पहले भी योनि दान का एक सुझाव दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे मित्र पाठक मेरी लिखी हुई इस प्रकार की बातों को इतने लंबे समय तक भी याद रखते हैं। यह बात सच है कि मैंने यह सुझाव दिया था और समाज में मेरी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहा और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। योनि सुचिता की उस समय आवश्यकता थी जब पुरुषों की संख्या कम थी, महिलाओं की अधिक थीं। लेकिन वर्तमान वातावरण बदल गया है। वर्तमान वातावरण में महिलाओं की संख्या कम हो गई है, पुरुषों की संख्या बढ़ गई है। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी मान्यताएं बदलने ही पड़ेंगी, अर्थात सेक्स की भूख और पूर्ति के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि किसी परिवार में कोई सदस्य भूखा है और भरे पेट सदस्य उस भूखे की चिंता न करें, व्यवस्था न करें, तो मजबूरी में वह अपराध कर सकता है। इसका दोषी कौन? यदि किसी परिवार का कोई सदस्य किसी मजबूरी में बलात्कार करता है, तो क्या उस परिवार की अन्य महिलाएं उसके लिए दोषी नहीं होंगी? उनके परिवार का एक सदस्य बलात्कार के आरोप में फांसी पर चढ़ रहा है और आपने कभी उसकी चिंता नहीं की। मैं समझता हूं अब योनि सुचिता के मामले में समाज को अपनी धारणा बदलनी चाहिए। हम बहुत पुराने रीति-रिवाज से आंख बंद करके चिपक नहीं सकते। बल्कि हमें नई परिस्थितियों में नए तरीके से संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि परिवार को एक इकाई घोषित कर दिया जाए और परिवार आपस में बैठकर आपसी सहमति से परिवार की सारी व्यवस्था करें, उसमें यौन संबंधी मामले भी शामिल हों। परिवार के पारिवारिक मामलों में बाहर से किसी प्रकार का सामाजिक या कानूनी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

संसद में संविधान पर चर्चा ने खोली 'संविधान संशोधनों' की पोल :

पिछले चार दिनों से संविधान पर लगातार चर्चा हुई, दो दिनों तक लोकसभा में और दो दिनों तक राज्यसभा में। इन चारों दिनों की चर्चा में यह बात साफ हो गई कि संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग नेहरू परिवार ने किया है। यह बात सामने आई कि संविधान का पहला संशोधन नेहरू परिवार ने मनमाने तरीके से किया था। उस समय राज्यसभा बनी ही नहीं थी, उस समय तक कोई चुनाव भी नहीं हुए थे। यहां तक कि नेहरू इतने तानाशाह थे कि उन्होंने संविधान में 370 ए राष्ट्रपति के दस्तखत से ही जोड़ दिया, संसद में प्रस्ताव रखा भी नहीं गया। इंदिरा गांधी ने तो संविधान के साथ जैसी मनमानी की, वह जगजाहिर है, लेकिन नेहरू ने जिस प्रकार संविधान के साथ छेड़छाड़ की, वह छेड़छाड़ अगर इंदिरा गांधी द्वारा बलात्कार के रूप में स्थापित कर दी गई, तो कोई आश्चर्य नहीं है। तीन-चार दिनों में जिस तरह नेहरू की पोल खोली गई, उसमें मैंने देखा कि कांग्रेसियों के सर झुके हुए थे, चेहरे उदास थे, होंठ सूखे हुए थे, मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने ललकार करके कांग्रेसियों पर आक्रमण किया, यह आक्रमण पूरे देश ने देखा और कांग्रेसी इस तरह मुंह झुका कर खड़े हुए, जिस तरह कोई अपराधी न्यायालय में जज के सामने खड़ा होता है। इस चर्चा में पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने एक सुझाव देकर बहुत हिम्मत का काम किया कि अब आरक्षण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। अब जाति आरक्षण में आर्थिक सोच का अवश्य प्रवेश होना चाहिए। इस बात को पूरे देश ने बहुत ध्यान से सुना और देवगौड़ा जी की इसके प्रस्ताव के लिए प्रशंसा भी की। मेरे विचार से संविधान पर जो चार दिनों की चर्चा हुई है, इस चर्चा ने कांग्रेस पार्टी को बहुत पीछे ढकेल दिया है। नेहरू जिस तरह देश में इस चर्चा के माध्यम से खलनायक सिद्ध हुए हैं, यह बहुत गंभीर बात है। अब नेहरू के नाम की दुकानदारी कांग्रेस के लिए सुविधाजनक नहीं होगी।

<u>हम कौन सा संविधान मानें नेहरु इंदिरा या संविधान सभा के?:</u>

यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि भारत का संविधान किन लोगों ने बनाया। संविधान सभा बहुत बड़ी थी, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर जी की रही और दादागिरी नेहरू जी की चलती थी। यह बात सर्वविदित है कि बहुमत हमेशा पटेल

"....गांधी और सरदार पटेल की मृत्यु तथा अंबेडकर को बाहर निकालने के बाद संविधान की जो छीछालेदर नेहरू ने की, वह संविधान आज हम लोगों के लिए एक जेलखाना के समान बना हुआ है..."

के साथ रहता था और गांधी जी का नाम लेकर नेहरू जी दादागिरी करते थे क्योंकि गांधी का नाम आते ही बाकी पटेल समर्थक और राजेंद्र बाबू वगैरा चुप हो जाते थे। संविधान सभा में बहुमत शरीफ लोगों का था और शराफत हमेशा दादागिरी से दब जाया करती है, उस समय भी दब जाती थी और आज भी दब जाती है। वर्तमान समय में यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि संविधान नेहरू के दबाव में बना या अंबेडकर की भूमिका अधिक थी या संविधान सभा के लोगों का भी कोई उसमें रोल था। संविधान अच्छा बना या बुरा बना, यह भी निर्णायक नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस समय संविधान बना, उस समय यह माना गया कि यह संविधान बहुत गलत है। उस संविधान में अनेक कमियां थीं, जिनका दुष्प्रभाव बाद में दिखा, लेकिन गांधी और सरदार पटेल की मृत्यु तथा अंबेडकर को बाहर निकालने के बाद संविधान की जो छीछालेदर नेहरू ने की, वह संविधान आज हम लोगों के लिए एक जेलखाना के समान बना हुआ है। आज यह गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि हम वर्तमान समय में अंबेडकर के संविधान की समीक्षा करें या अंबेडकर के बाद इस संविधान में मनमाने बदलाव किए जाने के बाद के संविधान की। हम किस संविधान को भगवान स्वरूप मानकर चलें। हमारे सामने तीन प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति वह है जिसमें हम विचार करते हैं कि आदर्श संविधान ऐसा होना चाहिए था जैसा संविधान सभा के लोग चाहते थे। दूसरी स्थिति वह है कि जब सरदार पटेल, अंबेडकर और नेहरू जी के नेतृत्व में राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में एक संविधान स्वीकार किया गया। अब तीसरी स्थिति वह है कि उस संविधान में अनेक प्रकार की छेड़छाड़ करके उसका जो विकृत स्वरूप आज हमारे सामने है। इन तीनों में से हमारे सामने आज संकट आ गया है कि राहुल गांधी किस संविधान को पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। उसमें अंबेडकर वाला संविधान है या नेहरू और इंदिरा वाला संविधान है या आदर्श संविधान है। कौन सा संविधान उनकी पॉकेट में रखा हुआ है। इस बात को जानने के बाद ही हम संविधान को सम्मान देने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए मैं अब नरेंद्र मोदी जी से यह उम्मीद करता हूं कि आप जनता के सामने खुलकर यह बात साफ करें कि हम किस संविधान को अपना भगवान माने।

समाज और राज्य के समाज़शास्त्रीय सिद्धांत:

29 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र और एक बहुत ही गंभीर विषय पर सामाजिक चर्चा शुरू कर रहे हैं। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है और समाज के बिना व्यक्ति भी नहीं बन सकता। समाज का अर्थ होता है सर्व व्यक्ति समूह, अर्थात समाज संपूर्ण विश्व के मनुष्यों को मिलाकर एक ही होता है। समाज कभी बहुवचन नहीं हो सकता। व्यक्ति और समाज मौलिक इकाइयां मानी जाती हैं तथा अन्य सभी इकाइयां व्यवस्था की इकाइयां हैं, इसलिए व्यक्ति को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा समाज को भी। इन दोनों के अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते हैं तथा व्यवस्था की कोई भी इकाई इन दोनों के प्रकृति प्रदत्त अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। आदर्श सामाजिक व्यवस्था में समाज सर्वोच्च होता है, धर्म और राज्य समाज के मैनेजर। परिवार से लेकर राष्ट्र तक विभिन्न इकाइयां समाज का भाग मानी जाती हैं, प्रकार नहीं। समाज के प्रकार होते ही नहीं, सिर्फ भाग ही हो सकते हैं।

<u>क्या है सामाजिक ढांचा और इसका काम क्या है:</u>

दुनिया में समाज का कोई भौतिक स्वरूप अब तक नहीं बन सका है, इसलिए राष्ट्र, धर्म और राज्य अलग-अलग स्वरूपों में समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्र समाज की व्यवस्था करता है, धर्म समाज का मार्गदर्शन करता है तथा राज्य समाज की सुरक्षा करता है। धर्म, राज्य और राष्ट्र पूरी तरह स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर रखते हैं। तीनों की अपनी-अपनी व्यवस्था होती है, अपनी-अपनी भूमिकाएं भी होती हैं और अपने-अपने दायित्व भी होते हैं। धर्म व्यक्ति से लेकर राज्य तथा राष्ट्र तक को कर्तव्य की प्रेरणा देता है, राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है तथा राष्ट्र व्यक्ति के सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तीनों मिलकर करते हैं। राज्य को समाज कुछ विशेष अधिकार देता है, लेकिन राष्ट्र और धर्म को समाज से कोई विशेष अधिकार नहीं मिलते। राष्ट्र और धर्म को जो भी अधिकार मिलते हैं, वह व्यक्ति के द्वारा ही दिए जाते हैं। इस तरह राष्ट्र और धर्म को नीचे से अधिकार मिलते हैं, राज्य को ऊपर से। तीनों के अपने-अपने दायित्व भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं। दायित्व उनके मध्यकारी होते हैं और कर्तव्य स्वैच्छिक। राज्य और राष्ट्र अपने-अपने तरीके से अपना-अपना संविधान बनाते हैं और

"धर्म व्यक्ति से लेकर राज्य तथा राष्ट्र तक को कर्तव्य की प्रेरणा देता है, राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है तथा राष्ट्र व्यक्ति के सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तीनों मिलकर करते हैं।"

उन संविधानों के आधार पर वे व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार भी देते हैं। राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहा जाता है और राष्ट्र द्वारा दिए गए अधिकारों को सामाजिक अधिकार कहा जाता है। राष्ट्र और राज्य अपना-अपना अनुशासन बनाए रखने के लिए अलग-अलग उपाय करते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए दंड दे सकता है, इसे शासन कहते हैं। राष्ट्र किसी भी व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए समाज से बहिष्कृत कर सकता है, इसे अनुशासन कहते हैं। धर्म व्यक्ति को स्वशासन सिखाता है। इस तरह स्वशासन, अनुशासन और शासन का अपना-अपना फर्क होता है। यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

<u>सामाजिक ढांचे में आई विकृतियों के परिणाम:</u>

30 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र। कल मैं सामाजिक विषय पर एक गंभीर लेख लिखा था। इस लेख पर कई मित्रों ने कई प्रश्न उठाए हैं। मैं भी यह बात जानता हूं कि समाज का कोई भौतिक स्वरूप न बना है, न भविष्य में बनने की कोई संभावना है। इसलिए समाज क्या है और उसकी सक्रियता क्या होगी, इस विषय पर कुछ भी लिखना एक यूटोपिया है, कल्पना है। फिर भी समाज का भौतिक स्वरूप हमें परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है। इन्हें हम समाज के भौतिक भाग मान सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यवस्था लंबे समय तक परिस्थिति अनुसार बिना संशोधन के चलती रहती है, तो उसमें विकृतियां आती हैं। ठीक यही स्थिति हमारे साथ भी हुई और धर्म, राज्य, परिवार, व्यक्ति, अर्थ सभी मामलों में विकृतियां आ गईं। व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ बढ़ा। स्वार्थ बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था दूषित हुई। हिंसा बढ़ने के कारण हर क्षेत्र में टकराव बढ़े। इसी तरह धर्म अपना कार्य पूरी तरह छोड़कर संगठन बन गया। राज्य अपना पूरा काम छोड़कर जन कल्याण करने लगा। अर्थव्यवस्था श्रम शोषण में सक्रिय हो गई। इन सामाजिक विकृतियों का लाभ उठाकर राज्य ने हर मामले में दखल देना शुरू कर दिया। राज्य ने स्वयं को ही राष्ट्र भी घोषित कर दिया। राज्य ने धर्म के मामले में भी पूरा दखल दिया, अर्थव्यवस्था के मामले में भी तथा परिवार से लेकर गांव तक के सारे मामलों पर राज्य ने एकाधिकार करना शुरू कर

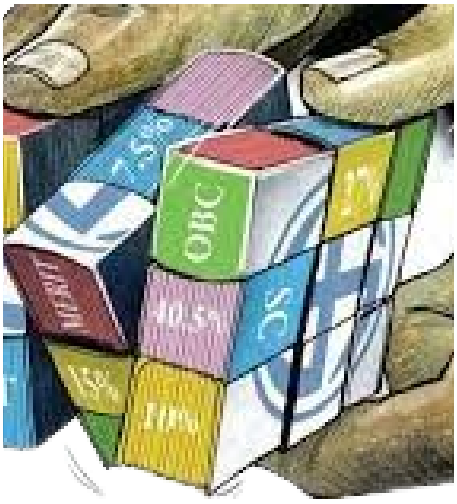

"...कुछ ही वर्षों के बाद राज्य ने कस्टोडियन की जगह अपने को मालिक घोषित कर दिया। 1971 में राज्य ने संविधान संशोधन के सारे अधिकार अपने पास समेट लिए..."

दिया। इस तरह विकृत समाज व्यवस्था धीरे-धीरे गुलाम होती चली गई और राज्य सर्वशक्तिमान बन गया। यही आज की सच्चाई है। चर्चा कल भी जारी रहेगी।

<u>राज्य अतिक्रमणकारी की तरह समाज को कमजोर कर रहा:</u>

हम दो दिनों से समाज और राज्य के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। समाज की धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत सब प्रकार की व्यवस्था में बुराइयां आने का लाभ उठाकर राज्य लगातार अपने को मजबूत करता रहा। स्वतंत्रता के तत्काल बाद राज्य ने अपने को कस्टोडियन घोषित कर दिया। राज्य व्यवस्था ने यह प्रचारित किया कि व्यक्ति, परिवार, गांव और समाज यह अपढ़ हैं, अयोग्य हैं, अक्षम हैं। यह अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर सकते और इसलिए हम संरक्षक के रूप में उनकी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने सेना, पुलिस, कानून के बल पर अपनी व्यवस्था हम लोगों पर ठोक दी। उन्होंने सुशासन का नारा दिया और स्वतंत्रता के तत्काल बाद देश ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद राज्य ने कस्टोडियन की जगह अपने को मालिक घोषित कर दिया। 1971 में राज्य ने संविधान संशोधन के सारे अधिकार अपने पास समेट लिए और व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी छीन लिए। राष्ट्रपति के भी अधिकार ले लिए गए। इस तरह राज्य हमारा मालिक बन गया और हम उसके सहायक मान लिए गए। राज्य ने हमारे सारे अधिकार छीन लिए और हम पर कर्तव्य थोप दिए गए। अब हम एक कर्तव्य करने वाली मशीन बन गए। अधिकार सारे राज्य के पास हो गए थे। इस समस्या से आज तक हम जूझ रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कल हम लोग इस समस्या के समाधान पर चर्चा करके अपने इस श्रृंखला को बंद करेंगे।

"...मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं इतना बड़ा देशभक्त बनूं और न्यायालय उसका कोई महत्व ही न समझे, ..."

तकनीक का प्रयोग विकास के लिए जरुरी :

16 दिसंबर प्रातःकालीन सत्र दुनिया में जो भी व्यक्ति या देश तकनीक के मामले में पीछे रह गए, वे हमेशा पिछड़ते ही चले जाते हैं। दुनिया जानती है कि तकनीक के मामले में पश्चिम के देशों ने पहल की और तकनीक के सहारे उन्होंने भारत को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। उसके पहले मुसलमान ने ताकत के बल पर भारत को गुलाम बनाया था, लेकिन तकनीक ने ताकत को हरा दिया और तकनीक आगे बढ़ गई। अब हमें दुनिया से कंपटीशन करना है, तो हमें तकनीक के मामले में आगे बढ़ना ही होगा। हम शक्ति के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि शक्ति के मामले में तकनीक अधिक प्रभावकारी होती है। आज इजरायल छोटा सा देश है, शक्ति नहीं है, लेकिन तकनीक के मामले में सबसे भारी पड़ रहा है। भारत भी नरसिंह राव के कार्यकाल में इस बात को समझ सका था कि हमें तकनीक के मामले में आगे होना चाहिए। नेहरू परिवार हमेशा ही तकनीक के इस्तेमाल से डरता रहा। जब मनमोहन सिंह ने तकनीक को बढ़ाना शुरू किया, तो मनमोहन सिंह को भी रोक दिया गया। अब मनमोहन सिंह के बाद देश तकनीक के मामले में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि तकनीक ही कृत्रिम ऊर्जा की खपत रोक सकती है, तकनीक उत्पादन बढ़ा सकती है, तकनीक ही आत्मनिर्भर बना सकती है, तकनीक कमजोरों की मदद कर सकती है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम श्रम और तकनीक को एक साथ मिलाकर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। याद रखिए, शक्ति का उपयोग सुरक्षा के लिए, तकनीक का उपयोग विकास के लिए और श्रम का उपयोग सुख के लिए। इस प्रकार इन तीनों का संतुलन बनाना ही एक आदर्श स्थिति में उचित हो सकता है।

समाज व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक:

ग्वालियर शहर में दो लड़कों ने मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को इसलिए गला दबाकर मार डाला कि वे दोनों उस माँ के न मरने से बहुत अधिक परेशान थे। दोनों ने कई बार भगवान से भी प्रार्थना की और ठंड के दिनों में खुली छत पर रखकर भी देख लिया। लेकिन बूढ़ी माँ नहीं मरी। माँ के मरने के बाद दोनों बच्चों को बहुत पश्चाताप भी हुआ। एक दूसरी घटना में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के मुकदमे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस तरह के अनेक परिवार पति और पत्नी से परेशान होकर अपना पूरा जीवन बर्बाद करने को मजबूर हो जाते हैं। मैंने ऐसे कई परिवार देखे भी हैं। एक तीसरी घटना में एक अविवाहित लड़की एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को ट्रेन में छोड़कर भाग जाती है। वह लड़की पकड़ी जाती है और उस पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। इस तरह के अनेक मामले हैं, जिसमें यह समझ में नहीं आता कि इसमें किसकी कितनी गलती है। समाज इस संबंध में उच्च आदर्शवादी नियम बना देता है, लेकिन सहायता करने के नाम पर अपनी कोई भूमिका नहीं समझता। हमारी सरकारें ऐसे मामलों में अति उच्च आदर्शवादी कानून बना देती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। हम इस प्रकार के आदर्शवादी नियमों या कानूनों की आड़ लेकर प्रवचन और उपदेश तो देते ही हैं, लेकिन कोई व्यवहारिक सुझाव नहीं देते। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि जटिल नियमों और कानूनों को सरल कर दिया जाए। इस प्रकार के मजबूर लोग, इस तरह के असहाय लोगों को समाज की जिम्मे छोड़ दें और उनके भरण-पोषण के लिए अपनी संपत्ति का उनका हिस्सा समाज के पास जमा कर दें, तो समाज या सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को इस प्रकार के सामाजिक या कानूनी जिम्मेदारियों से ससम्मान मुक्त कर दे।

अपराध नियंत्रण के लिए सहयोगी की भूमिका नहीं निभा रहे न्यायाधीश :

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक महिला का पति बाहर नौकरी करता है। पति का छोटा भाई घर में रहता है। छोटा भाई अपनी भाभी से बलात्कार करता है। उसकी भाभी रिपोर्ट करती है और देवर जेल चला जाता है। 6 महीने में ही वह देवर जमानत पर छूटकर फिर घर आ जाता है। फिर दोबारा जाकर वह अपनी भाभी के साथ बलात्कार की कोशिश करता है और भाभी द्वारा विरोध करने पर उसकी हत्या कर देता है। आप बताइए, इस पूरी घटना में कौन अधिक दोषी है? क्या इसमें न्यायालय दोषी नहीं है? पुलिस ने अपना काम किया और न्यायालय ने उसे जमानत दे दी। तब मेरे विचार से न्यायालय को दोषी होना चाहिए क्योंकि वह न्यायिक अभिरक्षा में था और न्यायालय ने अपनी संतुष्टि के आधार पर उसे छोड़ा था। मैं रोज देखता हूं कि बड़ी मुश्किल से पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ पाती है, उसे न्यायालय तक पहुंचाती है और न्यायालय मानवता के आधार पर या और किसी न किसी बहाने से उसे जमानत दे देता है। वह आदमी दोबारा अपराध करता है, न्यायालय अपना पल्ला झाड़ लेता है। आप गंभीरता पूर्वक सोचिए कि मैं अपनी जान पर खेलकर किसी अपराधी को पकडूं, उसे पुलिस को दूं, पुलिस उसे न्यायालय में दे और न्यायालय उसे जमानत दे दे, तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं इतना बड़ा देशभक्त बनूं और न्यायालय उसका कोई महत्व ही न समझे, यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसलिए भारत की न्यायपालिका को अब अपराध नियंत्रण में सहायक की भूमिका समझनी चाहिए, जबकि वर्तमान न्यायपालिका अपने को न्यायाधीश मानती है। न्यायपालिका पुलिस और अपराधी के बीच तटस्थ होकर न्याय नहीं कर सकती, बल्कि पुलिस और न्यायालय दोनों मिलकर अपराधी और निर्दोष के बीच न्याय करते हैं। इसलिए हमें पूरी दुनिया की न्यायिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। यदि आज दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं, इसका कारण हमारी न्यायिक प्रणाली है।

लेडी माउंटबेटन और नेहरु के राजनैतिक सम्बन्ध 'देशद्रोह' :

वैसे तो हम लोग जानते हैं कि भारत के वायसराय माउंटबेटन की पत्नी और पंडित नेहरू के बीच काफी अच्छा संपर्क था, लेकिन किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्तिगत संपर्क जो भी हो, वह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो यह है कि लेडी माउंटबेटन और वायसराय दोनों के साथ पंडित नेहरू के व्यक्तिगत संबंधों को छोड़कर राजनीतिक संबंध क्या था, यह गंभीर प्रश्न है। स्वतंत्रता के पहले अगर दोनों के बीच कोई राजनीतिक संबंध था भी, तो हम उसे गलत होते हुए भी गलत सिद्ध नहीं कर सकते। यह बात जग जाहिर है कि भारत की जनता और हमारे सांसद पूर्ण बहुमत से नेहरू के खिलाफ थे, फिर भी महात्मा गांधी ने नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के आपसी संबंधों को देखते हुए यह उचित समझा कि वर्तमान परिस्थितियों में नेहरू के साथ समझौता कर लेना ही उचित होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य हुआ कि जब पति-पत्नी माउंटबेटन भारत से चले गए, उसके बाद भी स्वतंत्रता के पांच वर्ष बाद 1952 में नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को भारत की राजनीतिक स्थिति के विषय में पत्र लिखा। एक पत्र प्रकाश में आया है और कितने पत्र लिखे गए होंगे, यह पता नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी ने वे सारे पत्र अपने नियंत्रण में कर लिए हैं। यह बात बहुत आश्चर्यजनक है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी भारत की राजनीति में नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच आपसी विचार विमर्श होता था। उस समय नेहरू ने माउंटबेटन को लिखे पत्र में यह बात स्पष्ट की थी कि अब भीमराव अंबेडकर को भी किनारे लगा दिया गया है और धीरे-धीरे अन्य नेता भी किनारे किए जा रहे हैं। नेहरू का किसी विदेशी को इस प्रकार का पत्र लिखना यह अप्रत्यक्ष रूप से देशद्रोह माना जाना चाहिए क्योंकि नेहरू उस समय कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई संस्था नहीं थे, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री थे और किसी प्रधानमंत्री को इस प्रकार किसी को पत्र लिखना बहुत घातक है। नेहरू परिवार को अब यह बात साफ करनी चाहिए कि क्या नेहरू परिवार नेहरू के इस प्रकार लिखे गए पत्र को उचित मानता है या नेहरू परिवार गलत मानता है।

गांव और परिवार को हो संवैधानिक मान्यता :

मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक रहा हूं। नरेंद्र मोदी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी एक अघोषित सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने त्याग और ईमानदारी की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि उन्हें किसी प्रकार की सत्ता का कोई मोह नहीं है। कभी भी झोला उठाकर वह पहाड़ों पर निकल सकते हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल तथा कुछ अन्य लोग बार-बार उन्हें झोला उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने जो जिम्मेदारी ली है, उसे पूरा करना उनका दायित्व है और उन्हें इस दायित्व से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी तो उन्होंने कश्मीर को मुक्त कराया है, अभी तो उन्होंने नक्सलवाद से मुक्ति की एक समय सीमा तय की है, अभी तो उन्होंने समान नागरिक संहिता भी लाने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी को कुछ और काम करने हैं। अभी उन्हें परिवार व्यवस्था और गांव व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार भी देना है। परिवार और गांव को जब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक शांति स्थापित नहीं होगी और यह कार्य नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के विरुद्ध तीन शक्तियां भारत में खतरनाक हैं: साम्यवाद समर्थक लोग, अरब देशों के समर्थक लोग और इटली के समर्थक लोग। कश्मीर की स्वतंत्रता से अरब मान्यता वालों का मनोबल टूटा है, नक्सलवाद के समापन से कम्युनिस्टों का मनोबल टूटा है और नेहरू परिवार के देश छोड़ देने से तीसरा खतरा भी खत्म हो जाएगा। मैं जीवन भर गांधी का प्रशंसक रहा हूं और मैं गांधी को अंतिम महापुरुष नहीं मानता। मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि समाज को गांधी से आगे जाने की जरूरत है, गांधी की नकल करने की नहीं। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी यदि परिवार और गांव को संवैधानिक अधिकार दे दें, तो उनकी मान्यता गांधी से भी आगे हो सकती है। मैं नरेंद्र मोदी में वे सारे लक्षण देखता हूं जो गांधी से आगे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुत्व की सुरक्षा नहीं, बल्कि हिंदुत्व के विस्तार के पक्षधर हैं और यह लाइन उन्हें गांधी से आगे ले जा सकती है।

विदेशी धरती पर भारत विरोधी कार्यक्रम का विरोध होना चाहिए:

भारत में कम्युनिस्ट कितना अधिक निराश हो चुके हैं कि अभी समाचार मिला है कि इसी वर्ष 15 नवंबर को नेपाल में नेपाल के 40 कम्युनिस्ट संगठनों ने एक बैठक की और उस बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि भारत में नक्सलवाद को योजना बद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। उस बैठक में इस बात पर भी गंभीर विचार मंथन हुआ कि राहुल गांधी को किस प्रकार भारत में मदद की जा सकती है और ईवीएम के मामले में किस तरह भारत में बड़ा आंदोलन खड़ा करके सरकार को वैलेट पेपर पर आने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह बैठक भारत के किसी शहर में नहीं हुई, यह बैठक नेपाल में हुई और उस बैठक में अर्बन नक्सलियों ने बैठकर योजना बनाई। यह बहुत गंभीर बात है कि भारत के मामलों में इस तरह विदेशी नक्सलवादी हस्तक्षेप करने की सोच रहे हैं। यह भी बहुत गंभीर बात है कि भारत के कुछ राजनीतिक दल विदेशी नक्सलियों से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन यह बात बहुत उत्साहवर्धक है कि भारत में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है और अब इसकी चिंता विदेशी नक्सलवादी कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बैठक की सच्चाई जनता के सामने लाई जाए और यदि इस प्रकार की कोई बैठक हुई है, तो भारत नेपाल सरकार के सामने अपना विरोध व्यक्त करें। भारत के आंतरिक मामलों में नेपाल को कोई दखल नहीं देना चाहिए, न भारत की कांग्रेस पार्टी को इस तरह की कोई उम्मीद करनी चाहिए।

सरकारी कर्मचारी को है असीमित लूट-पाट का अवसर:

मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसा पुलिस का जमादार पाया गया है जिसने 7 वर्ष तक आरटीओ विभाग में पुलिस वाले के रूप में काम किया और सिर्फ 7 वर्षों में ही उसने करीब 100 करोड़ रुपए कमा लिए। कल लोकायुक्त के छापे में उसके घर से 2 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में चांदी बरामद हुई और उसके घर के पास ही एक कार में रखा हुआ करीब 50 करोड़ का सोना और नगदी पाया गया। अभी तो उसकी और संपत्ति की जांच जारी है। मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि यह कोई अकेली घटना है। सच बात यह है कि गांव-गांव में अगर आप जाएंगे, इस तरह की घटनाएं आपको मिलेगी ही। अधिकांश सरकारी कर्मचारी अधिकतम इसी प्रकार धन इकट्ठा करते हैं। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी बनने की देश में होड़ मची हुई है। जहां गांव में आपको खोजने से भी मजदूर नहीं मिलते, वहां सरकारी विभाग में चपरासी बनने के लिए लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। मुख्य कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी बनने के बाद उसका लूटपाट में अधिकार बन जाता है। इस प्रश्न पर मैंने गंभीरता से विचार किया। आप जब किसी भी व्यक्ति को अनियंत्रित शक्ति दे देंगे, उस शक्ति का दुरुपयोग स्वाभाविक है। सरकार जानबूझकर जनता को गुलाम रखना चाहती है, इसलिए वे सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की शक्ति देती हैं कि वह जनता को गुलाम बनाकर रखें और राजनीतिक शक्ति को मजबूत करते रहें। इस समस्या का समाधान छापेमारी में नहीं है, इस समस्या का समाधान सरकारी कर्मचारियों पर अंकुश में नहीं है। इस समस्या का समाधान है सरकारी कर्मचारियों को आमजन जीवन में हस्तक्षेप कम से कम करने का। आप ग्राम सभाओं को अधिकार दे दीजिए, परिवारों को अधिकार दे दीजिए, सरकारी विभाग कम कर दीजिए, सरकारी कर्मचारियों का पावर कम कर दीजिए। सारी समस्या सुलझ जाएगी, अन्यथा आज जितना आपको मिला है, इससे और भी अधिक मिल सकता है और आप इसी तरह जनता को ठगते रहेंगे, सुर्खियां बटोरते रहेंगे। मीडिया नए-नए समाचार देता रहेगा, जनता आपकी वाहवाही करती रहेगी और आप जनता को ठगने के नए-नए तरीके खोजते रहेंगे।

अम्बेडकर के बारे में नेहरु का सटीक अनुमान प्रशंसनीय:

नेहरू का बहुत बड़ा आलोचक रहा हूं मैं। हर मामले में नेहरू को गलत मानता हूं क्योंकि स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने गांधी विचार को पूरी तरह उलट दिया। गांधी हत्या में नेहरू की कोई अप्रत्यक्ष भूमिका थी या नहीं, इसका अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन गांधी विचारों की नेहरू ने पूरी ताकत से हत्या की, यह बात पूरी तरह सामने आ चुकी है। दूसरी ओर, उनके साथ भीमराव अंबेडकर भी कार्य कर रहे थे। नेहरू हर मामले में भले ही गलत थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर को पहचानने में नेहरू बहुत सूझबूझ से काम लेते थे। नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अंबेडकर गांधी विचारों के खुले विरोधी थे और नेहरू गांधी विचारों के गुप्त विरोधी थे। अंबेडकर सत्ता की खुली लड़ाई लड़ रहे थे और नेहरू सत्ता की लड़ाई शालीनता से लड़ते थे। अंबेडकर ने सामाजिक समरसता को जितना अधिक नुकसान पहुंचाया, उतना नेहरू ने नहीं पहुंचाया क्योंकि अंबेडकर सत्ता के लिए बिल्कुल अंधे हो जाते थे। इसलिए अंबेडकर के मामले में नेहरू की प्रशंसा की जानी चाहिए कि नेहरू ने अंबेडकर का कभी भी सम्मान नहीं किया। गांधी के मरने के बाद और पटेल जी के जाने के बाद, नेहरू ने सारी ताकत लगाकर अंबेडकर को बाहर रखा। यहां तक कि जब अंबेडकर मुसलमानों की मदद से चुनाव लड़ने को तैयार हुए, तब नेहरू और देश के अधिकांश सवर्ण हिंदू एकजुट हो गए और उन्होंने अंबेडकर को हराया। यह नेहरू की ही सूझबूझ थी कि उन्होंने हिंदुओं के साथ समझौता कर लिया, लेकिन अंबेडकर के साथ कभी समझौता नहीं किया। लेकिन आज यह विडंबना ही है कि नेहरू परिवार और भारत के सवर्ण हिंदू एकजुट होकर अंबेडकर की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि दोनों के ही राजनीतिक स्वार्थ हैं। अंबेडकर के मामले में मैं नेहरू की प्रशंसा करता हूं।

जनहित याचिका न्यायालय के लिए फिजूल का काम:

अभी 3 दिन पहले लखनऊ में एक बैंक में लाकर काटकर लूटपाट हुई थी। बड़ी मात्रा में धन लोग ले गए थे, जेवर भी ले गए थे। तीन दिनों के अंदर ही उनमें से दो अपराधियों को सजा दे दी गई, उन्हें प्राण दंड मिल गया। यह बात बहुत विचित्र लगती है कि जिन अपराधियों को उत्तर प्रदेश में तत्काल दंड मिल जाता है, उन्हीं अपराधियों को हमारा न्यायालय 30 साल और 40 साल तक क्यों घुमाता रहता है। यदि पुलिस 3 दिन में दंड देती है, तो न्यायालय को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगना चाहिए। लेकिन न्यायालय तो दंड कभी देता ही नहीं है, तारीख पर तारीख, अपराधियों को जमानत पर जमानत। अगर न्यायालय अपराधों में दंड की सीमा 6 महीने निर्धारित कर दे, तो पुलिस के लिए किसी को तत्काल दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायालय अपराधियों को तो 20-20 साल दंड नहीं देता है, लेकिन यदि पुलिस ने दंड दे दिया, तो न्यायालय तत्काल स्वैच्छिक रूप से पूछताछ शुरू करता है। मैं नहीं समझता कि न्यायालय के पास जनहित याचिका सुनने के लिए कहां से समय जाता है। न्यायालय के पास अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए महीनों तक सुनने के लिए समय है, न्यायालय के पास विवाहित महिला और पुरुष के आपसी शारीरिक संबंध कैसे हों, इस पर बहस करने के लिए बहुत समय है, लेकिन न्यायालय के पास अपराधियों को दंड देने के लिए समय नहीं है। चुनाव नियमों में सरकार ने अगर कोई फेरबदल कर दिया, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू कर देता है, क्यों नहीं यह मामला हाईकोर्ट में भेज देता है। क्यों नहीं लोअर कोर्ट में चला जाता है। जनहित याचिका सुनने का न्यायालय को कहां से अधिकार प्राप्त हुआ? जनहित याचिका सुनना न्यायालय के लिए क्यों जरूरी है? लेकिन हमारे देश का न्यायालय अपराध नियंत्रण को छोड़कर बाकी सारे कार्य दिन-रात करता रहता है। न्यायालय यह कहता है कि हमें तो रात दिन फुर्सत ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है कि न्यायालय को फुर्सत नहीं है और अपराधियों का केस सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो न्यायालय कर क्या रहा है। अब समय आ गया है कि जिस तरह भारत की जनता विधायिका से प्रश्न करती है, इस तरह न्यायालय से प्रश्न करें कि न्यायालय करता क्या है।

जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग गलत:

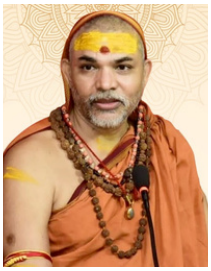

हमारे देश के चार शंकराचार्य में से एक द्वारिका के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी कांग्रेसी माने जाते थे। वे स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहे। उनके उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद जी वर्तमान समय में कार्यरत हैं। वे समय-समय पर संतुलित बयान देते रहते हैं, जो कभी-कभी कांग्रेस की तरफ झुका होता है और कभी संतुलित भी होता है। कल उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि जातिवाद हमारी सामाजिक समरसता के लिए नुकसानदेह है। हमें किसी भी रूप में जातीय ध्रुवीकरण को रोकना ही होगा, इसलिए जातियों पर चर्चा करना अच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण का कोई लाभ नहीं हुआ है और अब आरक्षण की जो वर्तमान सीमा 50% है, उसे अधिक बढ़ाने की मांग करना पूरी तरह गलत है। आरक्षण का उद्देश्य कमजोरों को ऊपर उठाना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं और आरक्षण एक अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैकमेलिंग का अधिकार बन गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो भी बात कही है, वह वास्तव में सही है और कांग्रेस पार्टी को उनकी सलाह पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। राजनीतिक सत्ता के लिए सामाजिक व्यवस्था में तोड़फोड़ करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं तो किसी भी प्रकार के किसी भी मात्रा में आरक्षण का भी विरोधी हूं और जातिवाद का भी। जातियां जन्म से नहीं, कर्म के आधार पर बननी चाहिए और आरक्षण योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए।

मुसलमानों की गलती पर भी चुप्पी चिंताजनक:

चार-पांच दिन पहले एक महत्वपूर्ण समाचार मिला था, जिसके अनुसार बुलंदशहर के अनूप शहर में एक फल विक्रेता अपने फलों पर बार-बार थूक रहा था और थूक थूककर अपने फलों को गंदा कर रहा था। इस घटना का रिकॉर्ड हो गया कि उसने देर तक यही कार्य किया और जब वहां पुलिस पहुंची, तब यह पता चला कि वह व्यक्ति शमीम नामक कोई मुसलमान है। आश्चर्य है कि कोई मुसलमान इस प्रकार का देर तक कार्य करते हुए फिर से पकड़ा गया है। इस संबंध में अखिलेश यादव क्या कहेंगे, राहुल गांधी क्या कहेंगे, यह तो पता नहीं है, लेकिन भारत के आम मुसलमान इस संबंध में पूरी तरह जबान में ताला बंद करके बैठ गए हैं। कोई यह नहीं बोल रहा है कि उसने गलत किया, क्योंकि यदि उसे गलत कह दें, तो हो सकता है कि उसके पारिवारिक या कोई मित्र भी गुप्त रूप से ऐसा ही करते हों, इसलिए आमतौर पर मुसलमान चुप है। लेकिन मुसलमान की चुप्पी के बाद भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी या कम्युनिस्ट तो मुसलमान नहीं हैं, इसके बाद भी इन सब की जबान पूरी तरह बंद है, यह बात आज तक समझ में नहीं आई। भारत के मुसलमान का कौन सा वर्ग ऐसा करता है, सिया करते हैं या सुन्नी करते हैं? क्योंकि अब तक जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनमें दोनों तरह के लोग बताए जाते हैं। क्या उन्हें बचपन से इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी गई है? क्या दूसरों को थूककर पानी पिलाना या खिलाना कोई धार्मिक कार्य माना गया है? क्या उनके दिमाग में यह बात डाल दी गई है कि थूक का असर दूसरों पर बहुत अधिक पड़ता है और क्या इसमें कोई वैज्ञानिक सोच है? पता नहीं कि लगातार भारत में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें 99% मुसलमान लोग ही पकड़े जा रहे हैं। मैं सब प्रकार के विचारक बंधुओं से यह जानना चाहता हूं कि यदि यह घटना सच है, तो इसके पीछे कोई विज्ञान है या कोई अंधविश्वास है या कोई और बात छिपी हुई है, जो गैर मुसलमान को आज तक मालूम नहीं है। यह बात अच्छी तरह खोजबीन करके अखिलेश यादव को बतानी चाहिए।

धर्म और जाति की ख़त्म हो संवैधानिक मान्यता:

स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी भूल हुई कि एक तरफ तो देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दे दिए गए। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। जब आप पूरे देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर देते हैं तो संविधान में धर्म का फिर अलग से उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं थी। यही कारण है कि आज बहुसंख्यक के मन में एकता की भावना पैदा हो रही है। आज भारत का बहुसंख्यक यह खुलकर मांग कर रहा है कि मंदिरों का प्रशासन मंदिर समितियां चलाएं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो। सच बात भी है कि अगर मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में वहां की संस्थाएं उसका स्वतंत्र रूप से संचालन करती हैं, तो मंदिरों का संचालन मंदिर समिति को करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से हिंदुओं की यह मांग तर्कसंगत है कि मंदिरों के संचालन में सरकार की कोई भूमिका न हो। मैंने 60-70 वर्ष पहले यह सुझाव दिया था कि कोई भी संपत्ति यदि व्यक्तिगत है, संस्थागत है अर्थात सरकारी नहीं है, तो उस संपत्ति पर दो प्रतिशत वार्षिक सुरक्षा शुल्क लगना चाहिए। यदि मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, कब्रिस्तान जैसी संपत्ति किसी इकाई के स्वामित्व में रहती है, तो उस पर दो प्रतिशत वार्षिक सुरक्षा शुल्क लगा दिया जाए और उसका प्रबंधन वह अपने तरीके से कर सकते हैं। इससे सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। यदि मंदिरों के पास भी बहुत अधिक संपत्ति होती है, तो वह वार्षिक दो प्रतिशत का टैक्स देंगे ही और यदि कोई नहीं दे सकता है, तो वह संपत्ति सरकार को समर्पित कर सकता है। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि धर्म और जाति को संवैधानिक मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए, परिवार, गांव, जिला इनको संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए।

बेदाग मनमोहन सिंह और काँटों भरी कुर्सी:

आज 27 दिसंबर प्रातः कालीन सत्र। अन्य विषयों को छोड़कर आज मैं मनमोहन सिंह जी पर कुछ विचार रखूंगा। मैं हमेशा मनमोहन सिंह जी का प्रशंसक रहा। मेरे विचार में स्वतंत्रता के बाद मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिन्हें हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं। मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में कभी अपने को प्रधानमंत्री नहीं माना बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद सोनिया गांधी की अमानत के रूप में ही स्वीकार किया और अंत तक सोनिया गांधी के प्रति वफादार रहे। यह आश्चर्यजनक है कि जिस मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री की आड़ में अरबों खरबों का खेल चल रहा हो, वहां मनमोहन सिंह पूरी तरह अछूते रह जाएं, यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य ही माना जाएगा। काजल की कोठरी में लगातार 10 वर्षों तक सक्रिय होकर कार्य करने के बाद भी निकलते समय कहीं पूरे शरीर में काजल का दाग न लगे, यह कार्य किसी के लिए भी संभव नहीं दिखता। यहां तक कि जब मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी ने उद्दंडता का व्यवहार किया, तब भी मनमोहन सिंह शांत रहे क्योंकि वह जानते थे कि यह पद नेहरू परिवार की अमानत है और उसके . भविष्य राहुल गांधी हैं। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए जिस तरह नेहरू की अर्थ नीतियों को पूरी तरह उलट दिया था, वह कार्यकाल भी मैंने देखा है। उस समय मनमोहन सिंह की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। यदि मनमोहन सिंह ने हिम्मत न दिखाई होती तो आज भारत की अर्थनीति की क्या दुर्दशा होती, इसकी हम कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड और नरेगा जैसी योजनाएं भी शुरू कीं। नरेगा के शुरू होने के 2 वर्ष के बाद ही जब सोनिया जी ने पुत्र मोह में पड़कर नरेगा को कमजोर करने का आदेश दिया, तब भी मनमोहन सिंह ने सोनिया के आदेश को मानने में देर नहीं की और नरेगा को कमजोर कर दिया। मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में तकनीक को बहुत आगे ले जाना चाहते थे लेकिन सोनिया गांधी के आदेश पर ही मनमोहन सिंह ने तकनीक के विस्तार को रोक दिया। इस तरह मैं यह कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी और वफादारी से कार्य किया। मनमोहन सिंह की ईमानदारी भी प्रशंसनीय है और हिम्मत भी प्रशंसनीय है। क्योंकि मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए हिम्मत का उदाहरण प्रस्तुत किया था और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ईमानदारी और वफादारी का उदाहरण दिया। यदि पुत्र मोह में पड़कर सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को कमजोर नहीं किया होता तो आज नेहरू परिवार की और कांग्रेस की वह दुर्दशा नहीं होती जो दिख रही है। मनमोहन सिंह का पूरा जीवन हमारे राजनेताओं के लिए एक संदेश है।

नेहरु परिवार की डुबोयी 'अर्थ-व्यवस्था' के तारनहार मनमोहन सिंह:

आज मनमोहन सिंह जी का दाह संस्कार हुआ। मनमोहन सिंह जी को सारी दुनिया में एक अर्थशास्त्री के रूप में याद किया गया। मनमोहन सिंह जी को भूतपूर्व होने के बाद भी दुनिया से जो सम्मान मिला, वह अभूतपूर्व सम्मान है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मनमोहन सिंह के दाह संस्कार के लिए भी उनकी विरासत के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी, वही कुछ सिख संगठन भी लगातार सक्रिय रहे, जबकि मनमोहन सिंह की पहचान ना कभी सिख के रूप में रही है, ना किसी कांग्रेसी के रूप में रही है। मनमोहन सिंह की पहचान तो एक अर्थशास्त्री के रूप में रही है। जो मनमोहन सिंह के लिए कल से आज तक कांग्रेस पार्टी निरंतर सक्रिय रही, उसने कभी मनमोहन सिंह के नाम पर देश में कोई योजना शुरू नहीं की। सारी योजनाएं शुरू की गईं, उन नेहरू, इंदिरा, राजीव के नाम पर, जिन लोगों ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। जिस अर्थव्यवस्था को बदलकर मनमोहन सिंह ने सारी दुनिया में सम्मान प्राप्त किया, उस अर्थव्यवस्था के हत्यारों के नाम पर अनेक योजनाएं चलाई गईं, लेकिन मनमोहन सिंह के नाम पर कभी नहीं। आज इस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि मनमोहन सिंह का सम्मान सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि अर्थशास्त्री के रूप में नेहरू को निकाल दिया जाए और उनकी जगह मनमोहन सिंह को स्थापित कर दिया जाए। नेहरू ने अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था और आज ...

इस नेहरू खानदान का एक नेता राहुल गांधी भी दिन-रात अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बात करता रहता है, सब कुछ बांट दो, भले ही अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए। राहुल गांधी तथा अन्य कांग्रेस के लोग मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था से सबक लें और नेहरू-नेहरू का नाम रटना छोड़ दें क्योंकि नेहरू ने भारत की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया था और उस रसातल में पहुंची अर्थनीति को मनमोहन सिंह रसातल से निकाल कर ले आए और अब नरेंद्र मोदी उस अर्थनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में मनमोहन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि साम्यवादी अर्थनीति और उस अर्थनीति के पुरोधा नेहरू-नेहरू का जाप रचने वालों को अब सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए और भारत मनमोहिनी अर्थनीति के पीछे आंख बंद करके चला रहे।

मैंने आज दोपहर मनमोहन सिंह पर लिखा था। एक मूर्ख ने यह टिप्पणी की है कि मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर दाह संस्कार एक सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। मैं नहीं समझ सका कि इसमें सिख प्रधानमंत्री शब्द जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। प्रधानमंत्री होता है, कोई प्रधानमंत्री सिख नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं होता। राजकीय सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया, व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह को नहीं। यदि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री नहीं होते, तो उन्हें यह सम्मान नहीं मिलता। फिर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि नेहरू परिवार ने अपने कार्यकाल में कितने अपने खानदान को छोड़कर अलग से प्रधानमंत्री बने। एक लाल बहादुर शास्त्री बने थे क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी उस योग्य नहीं बनी थीं। नरसिंह राव बनाए गए, तो नरसिंह राव को और उनका कोई स्मारक कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। जबकि मनमोहन सिंह नरसिंह राव की खोज थे, नेहरू परिवार की नहीं। नेहरू परिवार उस समय मनमोहन सिंह की जगह अन्य को वित्त मंत्री बनाना चाहता था, लेकिन नरसिंह राव ने पहल करके मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। इस तरह मनमोहन सिंह नेहरू परिवार की खोज नहीं थे। एक सफल वित्त मंत्री होने के बाद मनमोहन सिंह को सोनिया जी ने प्रधानमंत्री बनाया था। मेरा यह निवेदन है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता का खेल बहुत हो चुका, अब हमें इससे बचने की जरूरत है।

मनमोहन की शराफत का दुरुपयोग:

आप इस बात के लिए अवश्य ही मेरी प्रशंसा करेंगे कि 70 वर्ष पूर्व ही मैंने खुलेआम यह घोषणा कर दी थी कि पंडित नेहरू भारत के लिए सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि उस दिन भी मुझे यह बात मालूम थी कि पंडित नेहरू ने गांधी को धोखा दिया है। पंडित नेहरू सांप्रदायिक हैं, पंडित नेहरू कम्युनिस्ट हैं। पंडित नेहरू का न तो कोई मानवता से संबंध है, न हिंदुत्व से संबंध है। इनको तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से। इसलिए मैंने जीवन भर और आज तक कभी पंडित नेहरू को माफ नहीं किया। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने तो बहुत ही अधिक कमाल का कार्य किया था और इंदिरा गांधी तो नेहरू से भी कई गुना आगे बढ़ गई थीं। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यह दोष केवल नेहरू का नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का है। क्योंकि उस परिवार में आने वाली बहू भी उसी प्रकार की निकलेगी। लेकिन नेहरू की नकल इंदिरा ने की और इंदिरा की नकल सोनिया गांधी ने की। जिस तरह सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह की शराफत का दुरुपयोग किया, वह भी जग जाहिर है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इस खानदान का राहुल गांधी भी मनमोहन सिंह के मरने के बाद इस तरह नीचे स्तर पर उतर आए हैं। आज उनकी लाश पर राहुल राजनीति कर रहे हैं। राहुल इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि उनके परिवार ने अपने खानदान को छोड़कर बाकी अन्य लोगों को पूरे देश की राजनीति में कितना महत्व दिया। मनमोहन सिंह की मृत्यु से जिस प्रकार राहुल गांधी राजनीतिक चालबाजी कर रहे हैं, यह निश्चित ही राहुल गांधी के दिमाग की उपज नहीं है। क्योंकि मनमोहन सिंह से कम्युनिस्ट बहुत घृणा करते थे और किसी न किसी साम्यवादी का ही यह राहुल को संदेश होगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि नेहरू परिवार इस प्रकार एक भले आदमी की लाश का दुरुपयोग न करें। प्रणब मुखर्जी की बेटी और नरसिंह राव जी के भाई ने आकर जिस तरह नेहरू परिवार पर सवाल उठाए हैं और जिन प्रश्नों के उत्तर में इन सब की जुबान बंद हो गई है, वह उनके लिए सबक है कि अब इस परिवार के बारे में आम लोगों की जुबान खुलने लगी है। अच्छा हो कि ये लोग राजनीति का इतना स्तर न गिराएं। जिस व्यक्ति की मृत्यु के कारण देश का झंडा झुका हुआ है, ऐसे अवसर पर इस प्रकार की राजनीति समझ में नहीं आती।

न्यायपालिका का व्यवस्था में हस्तक्षेप अनुचित:

लगभग 25 वर्ष पहले मैंने ज्ञान तत्व में यह लिखा था कि न्याय और व्यवस्था एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि व्यवस्था रहित न्याय होगा, तो अराजकता फैलना निश्चित है। यदि न्याय रहित व्यवस्था होगी, तो अन्याय होना निश्चित है। लेकिन मेरी उस समय की बात को अनसुना कर दिया गया। परिणाम हुआ कि व्यवस्था रहित न्याय पिछले 40 वर्षों से लगातार चल रहा है और उसका परिणाम है अव्यवस्था या अराजकता। आप जरा विचार करिए कि अभी पंजाब में एक व्यक्ति अनशन कर रहा है। वह किसानों की मांग को बहाना बनाकर नेतागिरी कर रहा है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति की जान बचाने के मामले में जी जान से लगा हुआ है। हर तीन दिन, चार दिन में सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार को धमकाता है कि उसकी जान नहीं जानी चाहिए। मैं अभी तक नहीं समझा कि उस व्यक्ति की जान बचाना व्यवस्था का कार्य है या न्यायपालिका का। न्यायपालिका को ऐसे मामलों में दखल देना ही नहीं चाहिए। मैं पिछले चार-पांच वर्षों से देख रहा हूं कि न्यायपालिका किसानों के मामले में कई बार कमेटी बना चुकी है। परिणाम क्या हुआ? यदि व्यवस्था का कार्य न्यायपालिका करेगी, तो न्यायपालिका का मजाक उड़ जाएगा, न्यायपालिका की गंभीरता खत्म हो जाएगी, जैसी हो रही है। फिर न्यायपालिका ने एक कमेटी बना दी है। मैं नहीं समझता कि न्यायपालिका को किसानों के मामले में दखल देना चाहिए। यह व्यवस्था का कार्य है, न्यायपालिका का नहीं। मुझे यह बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि यदि न्यायपालिका ने किसानों के आंदोलन में दखल नहीं दिया होता, तो 4 साल पहले ही आंदोलन खत्म हो जाता और इतनी समस्याएं नहीं आतीं। लेकिन न्यायपालिका को भी अपने लोकप्रियता को बढ़ाने की चिंता है और इस चिंता में न्यायपालिका हर मामले में दखल दे रही है। मेरा फिर से निवेदन है कि मेरा लिखा हुआ वह ज्ञान तत्व न्यायपालिका पढ़े। न्यायपालिका उसकी गंभीरता को समझे। न्यायपालिका और व्यवस्था इन दोनों के तालमेल से ही देश चल सकता है। दोनों के बीच में किसी प्रकार की खींचतान उचित नहीं है।

वैचारिक संतुलनवादी हिन्दुत्व

संघ का गाँधीवादी हिंदुत्व प्रशंसनीय :

आज 21 दिसंबर प्रातःकालीन सत्र। मेरे पूरे जीवन में संघ और मेरे आपसी संबंध हमेशा तलवार की धार पर चले। मैं हिंदुत्व का पक्षधर हूं, लेकिन मैं गांधीवादी हिंदुत्व को सावरकरवादी हिंदुत्व की तुलना में अधिक अच्छा मानता हूं। फिर भी मैं सावरकर का विरोध नहीं करता क्योंकि सावरकर की नियत खराब नहीं थी, मार्ग गलत हो सकता है। जब भी भारत के कम्युनिस्ट सावरकर पर आक्रमण करते हैं, तो मैं सावरकर का बचाव करता हूं, लेकिन सावरकरवादी जब भी गांधी पर आक्रमण करते हैं, तो मैं सावरकरवादियों का विरोध करता हूं। क्योंकि मेरे विचार में सावरकरवादियों की मूर्खता के कारण ही देश में साम्यवाद और नेहरू परिवार जिंदा है। यही कारण है कि संघ के साथ अनेक मामलों में अच्छे संबंध होते हुए भी मैंने जीवन भर संघ के गांधी विरोध को गलत माना। मैंने हमेशा गांधी के मामले में संघ का विरोध किया। मैं नरम हिंदुत्व का पक्षधर रहा और साम्यवाद तथा इस्लाम का विरोधी रहा। जब तक संघ पर प्रवीण तोगड़िया और उद्धव ठाकरे का प्रभाव रहा, तब तक मेरा संघ के साथ तालमेल नहीं हो सका। यद्यपि गांधी विरोध को छोड़कर अन्य अधिकांश मामलों में मेरे संघ से अच्छे संबंध रहे, फिर भी मैं खुलकर गांधी के मामले में संघ का विरोध किया। अब पिछले सात-आठ वर्षों से मोहन भागवत बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत इस लाइन पर चल रहे हैं कि हमें गांधी और सावरकर दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। जिस तरह गांधी के नाम का लाभ उठाकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने को जिंदा रखते हैं और सावरकरवादी हमेशा गांधी का विरोध करने की मूर्खता करते हैं, वह मार्ग उचित नहीं है। मैं वर्तमान समय में यह महसूस करता हूं कि संघ बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रहा है। प्रवीण तोगड़िया और उद्धव ठाकरे को बाहर कर दिया गया है और संघ अब जिस सद्भाव और भाईचारे की दिशा में चल रहा है, मैं पूरी तरह संघ के साथ खड़ा हूं। मेरा अब यह मानना है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत मिलकर दुनिया में जो हिंदुत्व का संदेश देना चाहते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। सावरकरवादी हिंदुत्व हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए एक अल्पकालिक दवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए तो गांधीवादी हिंदुत्व ही उपयुक्त है।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि संघ प्रवीण तोगड़िया की छाया से मुक्त हो गया है। प्रवीण तोगड़िया ने अटल बिहारी वाजपेई को भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अंदर तक घटनाओं को जानता हूं। प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी सारे षड्यंत्र रचे क्योंकि प्रवीण तोगड़िया हिंदुत्व के नाम पर खुद नेता बनना चाहता था और अंत में लाचार होकर संघ ने प्रवीण तोगड़िया से पिंड छुड़ाया। जब से प्रवीण तोगड़िया बाहर किए गए हैं, तब से संघ सामाजिक सद्भाव की दिशा में बढ़ रहा है। संघ की शुरुआत से ही यह लाइन रही है कि हम सामाजिक समरसता को महत्व देंगे, टकराव को नहीं, संघर्ष को नहीं। हिंदुत्व सामाजिक समरसता को ही महत्व देता है। यदि कोई जानबूझकर टकराएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, वह उसे निपटा लेगा, लेकिन पूरे हिंदू समाज को उसमें कूदने की जरूरत नहीं है। फिर भी प्रवीण तोगड़िया और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की इस सद्भावना का बहुत दुरुपयोग किया। मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों से संघ किनारे हो गया। अब ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और जिस तरह ये संघ को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसी तरह ये दोनों मिलकर कांग्रेस को भी डूबाएंगे, यह निश्चित है।

संघ और रामभद्राचार्य विवाद:

24 दिसंबर प्रात: कालीन सत्र। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच सीधा टकराव हो रहा है। कम्युनिस्ट, मुसलमान और नेहरू परिवार एक गुट होकर मुस्लिम सांप्रदायिकता के साथ खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, आदित्यनाथ शेष पूरे समाज के साथ टक्कर देने के लिए प्रयत्नशील हैं और सांप्रदायिक शक्तियां धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। इन्हीं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के बीच कल एक टकराव शुरू हुआ। मोहन भागवत ने देश के लोगों को इस बात से सतर्क किया कि हिंदुओं को अपना मूल स्वभाव छोड़ना ठीक नहीं है। हम यदि मंदिर-मस्जिद के टकराव तक ही अपने को सीमित कर लेंगे, तो हम दुनिया में योग या ध्यान जैसे गंभीर प्रश्नों की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा हिंदू धर्म मंदिर और गंगा तक सीमित नहीं है, उसके मूल तत्व इससे अलग और भी हैं। भागवत जी के इस कथन का कांग्रेस के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने खुलकर विरोध किया, लेकिन इस टकराव में प्रसिद्ध हिंदू संत रामभद्राचार्य जी भी कूद पड़े और तब यह विवाद ज्यादा गहरा हो गया। मैं जानता हूं कि इस टकराव का जन्म राम मंदिर के उद्घाटन से हुआ था। राम मंदिर के उद्घाटन का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने लेने का प्रयास किया था और इस प्रयास से शंकराचार्यों को बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन उस समय शंकराचार्यों ने और रामभद्राचार्य जी ने भी चुप रहना उचित समझा और अब मौका देखकर उन लोगों ने आक्रमण शुरू किया है। मेरे विचार से मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है, वह बिल्कुल सही है और इस मामले में रामभद्राचार्य जी को शालीनता बरतनी चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने यह एक गलत बात कही कि संघ अनुशासन नहीं बता सकता। अनुशासन तो हम बताएंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदुओं को अनुशासन बताने की ठेकेदारी सिर्फ शंकराचार्यों के पास नहीं है। मैं भी अनुशासन की चर्चा कर सकता हूं, यह अनुशासन मानने वालों पर निर्भर करेगा। फिर भी मुझे मालूम है कि इस पूरे टकराव का केंद्र नरेंद्र मोदी को बनाया जा रहा है। मेरे विचार से वर्तमान भारत में शंकराचार्य की तुलना में नरेंद्र मोदी का कार्य अधिक प्रशंसनीय है और शंकराचार्य को भी अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। हमारा सीधा संघर्ष साम्यवाद, इस्लाम और नेहरू परिवार की सांप्रदायिकता के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता के नेतृत्व में सीधे संघर्ष का है और रामभद्राचार्य जी को इस संघर्ष में बीच में कूदना नहीं चाहिए।

मैं भी गाय गंगा मंदिर का सम्मान करता हूं, लेकिन यदि गाय, गंगा, मंदिर और हिंदुत्व के बीच में एक को चुनना होगा, तो मैं हिंदुत्व को पहले चुनूंगा, क्योंकि यदि हिंदुत्व रहेगा, तो गाय, गंगा और मंदिर की सुरक्षा की जा सकती है, लेकिन यदि हिंदुत्व ही नहीं रहेगा, तो गाय, गंगा, मंदिर सबका दुरुपयोग निश्चित है। इसलिए हमें हिंदुत्व की सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। संभल में जो मंदिर बर्बाद हुए, वे किसी प्रकार से भी बलपूर्वक नहीं हुए, बल्कि वहां से हिंदुओं को भगाया गया और जब हिंदू भाग गए, तब इन मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया। मंदिर, गाय, गंगा, मंदिर यह हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर सके, लेकिन अगर वहां हिंदू रहते, तो यह तीनों सुरक्षित रहते। मेरे विचार से रामभद्राचार्य जी ने जिस तरह गाय, गंगा, मंदिर का मुद्दा उठाया है, उसे गाय, गंगा, मंदिर की तुलना में हिंदुत्व की सुरक्षा का नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत का प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी रामभद्राचार्य जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उन्होंने यदि कोई प्रश्न उठाया, तो उस पर विचार किया जा सकता था, परंतु उनके प्रश्न उठाने की भाषा आरोप तक चली गई थी और यदि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ शरीके नेतृत्व पर इस .....

.....प्रकार आरोप लगाए जाएंगे, तो हमें यह कतई स्वीकार नहीं है। आज हम ऐसे संकट में खड़े हुए हैं, जहां दुनिया की अनेक ताकतें नरेंद्र मोदी को कमजोर करने में लगी हुई हैं और भारत का भी नेहरू परिवार उन ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। ऐसे समय में हमारे नेतृत्व पर किसी तरह का आरोप लगाना उचित नहीं था। मैं जानता हूं कि आज से 10 वर्ष पूर्व मोहन भागवत भी वैसे ही भाषा बोलते थे, जैसी रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं, लेकिन जब सरकार बनी और मोहन भागवत जी को भी सारी दुनिया के परिस्थितियों का ज्ञान हुआ, उनकी भाषा में संशोधन हुआ। हम हिंदू और भारत अकेले सारी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते और यदि करेंगे, तो हमारा वही हाल होगा, जो आज सारी दुनिया में मुसलमान का हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वर्तमान खतरों को देखते हुए हम नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर आंख बंद करके भरोसा करें। रामभद्राचार्य जी से निवेदन है कि वह किसी मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें और मेरा मोहन भागवत जी से भी निवेदन है कि वह रामभद्राचार्य जी को चुपचाप माफ कर दें। मेरे विचार से यह विवाद इसी जगह समाप्त हो जाना चाहिए।

धार्मिक कट्टरवाद हर स्थिति में खतरनाक:

आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस का मतलब यह है कि भारत में आज से कई सौ वर्ष पहले जो लोग जिंदा शहीद किए गए थे, उनकी यादगार में शहीदी दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। एक कट्टरपंथी मुसलमान औरंगजेब ने किस तरह दो सिख बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था, वह कहानी पढ़ने के बाद वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय को याद करके यह स्पष्ट होता है कि सामान्य मुसलमान हिंदुओं के बहुमत की अपेक्षा कई गुना अधिक कट्टर होता है और जो कट्टर हिंदू होते हैं, उनकी अपेक्षा तो कट्टर मुसलमान बिल्कुल दानव के रूप में ही हो जाता है। मैं मानता हूं कि हिंदुओं में भी कुछ कट्टर राजा हुए हैं, लेकिन उन राजाओं का कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलता, जैसा कट्टर मुस्लिम राजाओं का मिलता है। इसलिए यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि हमें कट्टरवादी मुसलमान से पूरी तरह बचने के लिए सब प्रकार के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि कट्टरवादी मुसलमान बल प्रयोग भी कर सकता है और धोखा भी दे सकता है। मैंने अपने शहर में प्रयोग करके देखा है कि आम मुसलमान खतरनाक नहीं होता, तब तक खतरनाक नहीं होता जब तक वह शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाकर किसी कट्टरपंथी का भाषण नहीं सुनता। हम लोगों ने इस प्रकार की शुक्रवार की नमाज की उचित व्यवस्था कर दी और हमारे शहर में आज तक कभी हिंदू मुसलमान के बीच टकराव नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म गुरुओं का अंध भक्त होता है। आम मुसलमान में दिमाग होता ही नहीं है, वह तो भेड़ सरीखा होते हैं, जबकि आम हिंदुओं में दिमाग होता है। आम हिंदू किसी के पीछे आंख बंद करके नहीं चलता, ऐसे आंख बंद करके चलने वाले हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम यदि आम मुसलमान को इन कट्टरपंथियों से थोड़ा भी दूर कर सकें, तो यह समस्या सुलझ सकती है। भारत में बिना जांच पड़ताल किए किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन पर यदि पूरी तरह रोक लगा दी जाए, तो अवश्य ही इस समस्या में कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि यदि मुसलमान अपनी संख्या का घमंड छोड़ देगा, तो उसमें काफी बदलाव आ सकता है। मैं चाहता हूं कि भारत इस संबंध में गंभीरता से विचार करें। आज का शहीदी दिवस हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि धार्मिक कट्टरवाद पूरी तरह घातक होता है। कट्टरवाद को या तो समझा-बुझाकर अथवा बल प्रयोग के द्वारा पूरी तरह समाप्त करना ही चाहिए।

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण से बचना चाहिए:

भारत की राजनीति पिछले तीन-चार महीनों से कुछ बदलती हुई दिख रही है। भारत में हिंदू एकजुट हो रहा है, विपक्षी दल पूरी ताकत लगाकर दलित, आदिवासी और सिखों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। बांग्लादेश की घटनाओं ने विपक्षी दलों को और अधिक चिंता में डाल दिया है। ऐसी स्थिति में दो बातें साफ दिख रही हैं: विपक्ष चाहता है कि सवर्ण हिंदुओं को एकजुट होने से रोका जाए और सवर्ण हिंदुओं के साथ जुड़कर उनके वोट लिए जाएं। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी यह प्रयत्न कर रही है कि मुसलमानों को विभाजित किया जाए और कुछ प्रतिशत मुसलमानों से वोट लिए जाएं। अब इसी खींचतान में राजनीति उलझ गई है। मोहन भागवत ने जिस तरह का बयान दिया, ऐसा बयान वे पिछले एक-दो वर्ष पहले से देते रहे हैं। स्पष्ट है कि मोहन भागवत हिंदू-मुसलमान में खुले टकराव के पक्षधर नहीं हैं और उनकी इच्छा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो। फिर भी जिस तरह कुछ हिंदू संतों ने मोहन भागवत के बयान का विरोध किया, इससे विपक्षी दलों में एक नई उम्मीद दिखने लगी है। जिस तरह प्रियंका गांधी ने पहले फिलिस्तीन का नारा लगाया और उसके बाद बांग्लादेश के हिंदुओं का नारा लगाया, जिस तरह ममता बनर्जी ने अपने को बदला और जिस तरह अरविंद केजरीवाल मुसलमान की चिंता छोड़कर हिंदुओं के पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, इन सब घटनाओं को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि हिंदू एकता की ताकत विपक्ष को समझ में आ रही है और मुसलमान को जोड़ने की ताकत संघ को समझ में आ रही है। अभी यह साफ कहना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन बदलाव के प्रयत्न तो हो रहे हैं। मैं इस प्रकार के प्रयत्नों को हिंदुओं के लिए अच्छा मानता हूं। मेरी योजना पूरी तरह साफ है: मैं किसी भी प्रकार से हिंदू-मुसलमान के ध्रुवीकरण का पक्षधर नहीं हूं। मैं मोहन भागवत का समर्थक हूं। मेरा यह मानना है कि साम्यवाद, सांप्रदायिक मुसलमान और नेहरू परिवार की संयुक्त शक्ति को जो भी चुनौती दे, हम इसका खुलकर समर्थन करें। वर्तमान भारत में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मिली-जुली शक्ति ही नेहरू परिवार की तिकड़ी से टक्कर ले सकती है। इसलिए मैं और मेरे साथी यह पूरी तरह प्रयत्नशील हैं कि हम न्याय- अन्याय की बात न करके हम तो साफ-साफ नेहरू परिवार के विरोध करेंगे, जिससे साम्यवाद और इस्लामी कट्टरवाद दोनों अपने आप कमजोर हो जाएंगे। मैं फिर से साफ कर दूं कि मैं नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का खुला समर्थक हूं।

संभल कांड से कमजोर हुआ नरमपंथी हिंदुत्व:

मैं पिछले एक-दो महीने से भारत की सांप्रदायिक स्थिति को देख-देख कर बहुत चिंतित रहा। मुझे यह पूरा विश्वास था कि हम भारत में नरम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। मैंने तो एक बार यह भी लिख दिया था कि मैं धीरे-धीरे हिंदुओं का खून ठंडा कर दूंगा। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ इस दिशा में ठीक प्रयत्न कर भी रहे थे। हम लोगों का प्रयत्न लगातार सफलता की ओर था लेकिन एकाएक संभल में एक ऐसी घटना हो गई, जिस घटना ने हमारे सारे प्रयत्न कमजोर कर दिए। संभल में मुसलमानों ने जिस तरह आक्रमण किया, वह तो एक विशेष बात थी ही, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर संसद में नाटकबाजी की, जिस तरह हिंसक मुसलमानों का मनोबल बढ़ाया, उससे देश के नरमपंथी हिंदुओं का विश्वास कमजोर हुआ। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि इस घटना का अधिक प्रभाव न पड़े। योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी कोशिश की लेकिन बंगाल की घटनाओं को और संभल की घटनाओं को मिलाकर उग्रवादी हिंदुओं को आगे आने का अवसर मिल गया। जिस तरह मोहन भागवत के तटस्थ प्रयत्नों का खुलकर विरोध हुआ तथा कल जिस तरह पटना के एक सभागार में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में भी गांधी जी के भजन का खुलकर विरोध किया गया, यहां तक कि गांधी जी के रघुपति राघव राजा राम वाले भजन के बोलने पर गायक को माफी मांगनी पड़ी, उससे यह बात स्पष्ट हुई कि भारत में उग्रवादी हिंदुओं का मनोबल बढ़ रहा है और नरमपंथी हिंदू असहाय पा रहे हैं। स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है, यह बात सच है लेकिन इसका दोष मुसलमान की अपेक्षा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा जाता है। जिस तरह संभल में वहां के एक मुस्लिम सांसद ने दबंग होकर बिजली चोरी कराई और अखिलेश यादव उस सांसद के पक्ष में अब तक लगातार खड़े हैं, यह एक चिंता का विषय है। धीरे-धीरे देश में वफ़ा वातावरण बनता जा रहा है, जैसा गोधरा कांड के समय हुआ था। आम हिंदुओं का मनोबल लगातार कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है और इसका प्रमुख कारण कम्युनिस्ट, मुसलमान और नेहरू परिवार का गठजोड़ है। इन परिस्थितियों में भी हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम भविष्य में ऐसे मामलों में चुप रहें क्योंकि यदि हम ऐसे मामलों में उग्रवादी हिंदुत्व के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह आवाज मुस्लिम कट्टरवाद के समर्थन में खड़ी हो जाती है। अंत में मेरा यह सुझाव है कि जिस तरह हम लोग नरम हिंदुत्व के पक्ष में अब भी खड़े हैं, इस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी मुस्लिम कट्टरवाद के विरोध में नरम इस्लाम के पक्ष में खड़े हों। यदि शांतिप्रिय मुसलमानों को और शांति प्रिय हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जाती तो हो सकता है कि इस टकराव को टाला जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने हाथ बढ़ाते रहे और राहुल-अखिलेश ने हम लोगों के साथ तालमेल नहीं बनाया। मैं चाहता हूं कि राहुल-अखिलेश इस विषय पर गंभीरता से सोचें।

"... लेकिन इसका दोष मुसलमान की अपेक्षा अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा जाता है। जिस तरह संभल में वहां के एक मुस्लिम सांसद ने दबंग होकर बिजली चोरी कराई और अखिलेश यादव उस सांसद के पक्ष में अब तक लगातार खड़े हैं, यह एक चिंता का विषय ...."

गुंडागर्दी आतंक और मुस्लिम साम्प्रदायिकता का अब कोई भविष्य नहीं :

मैं अखिलेश यादव का प्रशंसक रहा हूँ किंतु अखिलेश जिस तरह राहुल के साथ मिलकर सांप्रदायिकता और अपराधीकरण के पक्ष में खुलकर खड़े हो रहे हैं, वह उनके भविष्य के लिए घातक है। राहुल का तो कोई भविष्य नहीं है लेकिन अखिलेश और राहुल के भविष्य में बहुत फर्क है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का न तो कोई भविष्य बचा है और न गुंडागर्दी और आतंक का। अखिलेश यादव जितना जोर से हिंदुओं के विरुद्ध खड़े होंगे, उतना ही अधिक योगी मजबूत होंगे क्योंकि योगी, मोदी की ही तरह संविधान और लोकतंत्र की अपेक्षा शांति और न्याय के अधिक पक्षधर हैं, चाहे कानून से हो या दादागिरी से। उत्तर प्रदेश में आम जनता मोदी की संविधान और लोकतंत्र की तुलना में योगी को अधिक पसंद कर रही है। जिस तरह योगी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीत कर दिखा दिया, उससे आपको सबक सिखना चाहिए। संभल में आपके ही सांसद बर्क ने योगी को एक ऐसा हथियार दे दिया जो योगी को मजबूत कर रहा है। योगी अब वर्षों तक उस हथियार का उपयोग करेंगे और आप उन्हें किसी भी तरह बचा नहीं सकेंगे। क्योंकि मुसलमान इतना नासमझ होता है कि वह अल्लाह-हु-अकबर का नारा लगाते ही पागल हो जाता है और आपकी बात भी नहीं सुनेगा। अरविंद केजरीवाल धीरे-धीरे हिंदुओं के प्रति रुख बदल रहे हैं। ममता और उमर अब्दुल्ला का भी राहुल से मोह भंग हो रहा है। किंतु आप हैं कि अभी भी राहुल की मित्रता निभाने में वही एवं अडानी और मुस्लिम तुष्टिकरण से चिपके हुए हैं। स्थिति के अनुसार विचार कीजिए। अब भारत में नेहरू परिवार और मुस्लिम सांप्रदायिकता का कोई भविष्य नहीं है।

अब साम्प्रदायिकता को निपटाना होगा :

आज यह बात संसद में खुलकर सामने आ गई कि राजमाता सोनिया गांधी अपने को सबसे ऊपर समझती थीं। नेहरू के अनेक महत्वपूर्ण पत्र जो बक्सों में सुरक्षित रखे हुए थे, वह पत्र सोनिया गांधी को उनके एक स्पेशल आदेश पर वापस कर दिए गए, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध था। अब सोनिया गांधी उन पत्रों को वापस नहीं करना चाहती हैं और पुरातत्व आयोग उन पत्रों को वापस मांग रहा है क्योंकि पूर्ण सुरक्षित पत्रों में कुछ ऐसे पत्र भी हैं जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने वायसराय की पत्नी को लिखे थे। वह पत्र सामने आने से सोनिया गांधी के लिए अपमानजनक हो सकता है। उन पत्रों से यह बात भी सामने आ सकती है कि किस प्रकार माउंटबेटन के साथ मिलकर नेहरू जी ने अपने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया। कांग्रेस पार्टी भारत विभाजन की प्रमुख भूमिका में थी और स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ मिलकर एक नए विभाजन की तिकड़म में लगी रही। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद यह बात साफ कर दी कि अब किसी भी परिस्थिति में देश का विभाजन तो होगा ही नहीं। यदि विभाजन होगा तो पाकिस्तान का हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, लेकिन भारत का नहीं होगा। मैं नरेंद्र मोदी का पक्षधर हूं। प्रारंभिक 5 वर्ष नरेंद्र मोदी को सत्ता के दांव-पेंच समझने में लग गए। दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को शांत कर दिया, यह एक बहुत ही बड़ा कार्य था। तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, यह भी देश की एक बहुत बड़ी समस्या थी। मैं चाहता हूं कि इस तीसरे कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी समान नागरिक संहिता ... बिल लाकर सांप्रदायिकता को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। चौथे कार्यकाल में हम नरेंद्र मोदी से कुछ और उम्मीद करेंगे और इस तरह हर 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी एक-एक समस्या सुलझाते जाएंगे और हम भारत के लोग उन्हें अगले 5 वर्ष के लिए उनकी समय सीमा बढ़ाते जाएंगे। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जीवन भर प्रधानमंत्री बने रहें और मुस्लिम साम्यवाद समर्थक नेहरू परिवार की छाती में एक-एक कील ठोकते रहें।

नेहरु अप्रत्यक्ष तो अम्बेडकर प्रत्यक्ष गाँधी विरोधी :

हमने दोपहर में संविधान चर्चा पर अपनी बात रखी थी। इस चर्चा में अमित शाह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस तरह हमारे विपक्ष के लोग अंबेडकर, अंबेडकर दिन-रात चिल्लाते रहते हैं, उसका अगर दसवां हिस्सा भी भगवान का नाम लेते, तो उन्हें अधिक लाभ हो सकता था। उन्होंने बिल्कुल ठीक सलाह दी है। हमारे एक मूर्ख नेहरू परिवार ने तो अपने नाम के आगे ही गांधी लगा लिया है, जिससे कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन-रात जनता गांधी, गांधी चिल्लाती रहे और गांधी के नाम पर वह सारी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहें। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि गांधी और अंबेडकर के नाम को लोगों ने जनता को ठगने का माध्यम बना लिया है। इन्हें न गांधी के नाम काम से मतलब है, न अंबेडकर के नाम से मतलब है। इन लोगों को सिर्फ मतलब है जनता को ठगने से। किसी तरह कुर्सी बचाने से। सच बात यह है कि गांधी और अंबेडकर की कोई तुलना ही नहीं है। कहां गांधी, सरीखा एक ऊंचा व्यक्तित्व, जिनके नाम की यह लोग दुकानदारी कर रहे हैं और कहां अंबेडकर, सरीखा खलनायक, जिनके नाम पर यह लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे विचार से नेहरू की पोल तो खुल चुकी है, नेहरू तो खलनायक सिद्ध होते जा रहे हैं। अगले दो-तीन वर्षों में ही नेहरू नाम से लोग घृणा करने लग जाएंगे, उसके बाद अंबेडकर का नंबर आएगा क्योंकि अंबेडकर ने भी समाज में वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष बढ़ाने में दिन-रात काम किया। नेहरू बहुत अधिक चालाक थे, इसलिए वे गांधी के मरने के बाद गांधी विचारों की हत्या किए और अंबेडकर उतने चालाक नहीं थे, इसलिए उन्होंने गांधी का शुरू से ही विरोध किया था। मैं जानता हूं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों से एक साथ निपटना उचित नहीं है, लेकिन मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि गांधी विरोधी इन दोनों को भविष्य में समाज दंड दे।

फिर एक आबकारी घोटाला:

हमारा छत्तीसगढ़ नए-नए इतिहास बनाता है। कल छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री ने यह बात स्वीकार की है कि शराब घोटाले में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें मैंने बिना पढ़े हस्ताक्षर किए थे। सरकारी अफसर ने मुझे बिना पढ़ाए ही दस्तखत करा लिए थे। यह पहली बार है कि छत्तीसगढ़ का कोई पूर्व मंत्री इस प्रकार शराब घोटाले की बात स्वीकार कर रहा है। अब तो इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया और राहुल, भूपेश बघेल या अन्य लोग जो भी दावा करते थे, वह दावा झूठा सिद्ध हो गया है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ ही है और भ्रष्टाचार करने में अफसर और नेता दोनों शामिल थे। भले ही नेताओं को प्राप्त पैसा दिल्ली चला गया हो और अफसर को प्राप्त पैसा नेताओं के पास आ गया हो, लेकिन भ्रष्टाचार में अब किसी भी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। कोई मंत्री यह कहकर अपराध मुक्त नहीं हो सकता है कि उसने बिना पढ़े इतनी बड़ी फाइल और इतनी योजना पर दस्तखत कर दिए और उसे पूरे कार्यकाल पर कभी यह बात पता नहीं चली कि उसने दस्तखत किए हैं, जिस आधार पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां तक कि सीबीआई की जांच के बाद भी उसने उस जाली हस्ताक्षर को समाप्त नहीं किया। इस मामले में कम से कम अरविंद केजरीवाल चालाक निकले कि जैसे ही उपराज्यपाल ने उनके भ्रष्टाचार की पोल खोली, तो उन्होंने उस शराब लाइसेंस को रद्द कर दिया। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता इतने ढीठ निकले कि उन्होंने उस तरह का कोई संशोधन भी नहीं किया। अब राहुल, प्रियंका, भूपेश बघेल सहित सभी कांग्रेसियों की जुबान बंद है। अब हमारे देश के कांग्रेसी और बात नहीं कर पा रहे हैं कि शराब में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब तो वे लोग यही कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के साथ अत्याचार हुआ और अदानी को सरकार विशेष रियायत दे रही है, लेकिन यह बताने को तैयार नहीं हैं कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था या नहीं। सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह शराब घोटाला हुआ था, वह पूरे भारत के भ्रष्टाचार में से एक अलग तरीके का भ्रष्टाचार था। इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ एक नए प्रकार की प्रयोगशाला है।

राजनीति में गिरावट चिंताजनक:

वैसे तो राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से यह बात स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को पैसा देकर सरकार बदलने का प्रयास करती रहती है। इस तरह के प्रयास नरेंद्र मोदी के पहले कांग्रेस के जमाने में भी हुआ करते थे, क्योंकि राजनीति में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है, लेकिन आज जो सच्चाई सामने आई है, वह बहुत हैरान कर देने वाली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद ने मिलकर यह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में वर्तमान चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, उसके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। यह आरोप किसी अन्य ने नहीं लगाया है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने लगाया है। स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं और आम आदमी पार्टी यह आरोप लगाते कि राहुल गांधी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रही है, यह आरोप यदि किसी अनुभव के आधार पर लगाया गया है, तो यह आरोप बहुत ही गंभीर है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस तरह का अनुभव अवश्य होगा कि हरियाणा में जीतती हुई कांग्रेस पार्टी को हराने में आम आदमी पार्टी ने जो भूमिका अदा की, वह किसके पैसों से की गई थी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां आम आदमी पार्टी की मदद की हो और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की मदद की हो। सच्चाई तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ही बता सकते हैं, लेकिन एक संदेश तो बनता ही है कि भारत की राजनीति में किस तरह के आरोप लगाए हैं और इस तरह के आरोपों में कितनी गंभीरता है, कितनी सच्चाई है। मेरे विचार से भारतीय राजनीति का वर्तमान समय में जितना अधिक पतन हुआ है, इतना पतन पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी की पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी से गुप्त रूप से पैसा लेकर चुनाव लड़े, यह बहुत ही गंभीर मामला है।

गाँधी और आज के गाँधी में जमीन आसमान का अंतर :

मैंने अपने जीवन काल में दो प्रकार के गांधी देखें। एक भारतीय गांधी, गुजराती गांधी और एक विदेशी गांधी, इटालियन गांधी। दोनों के बीच आसमान-ज़मीन का फर्क था। एक भारतीय गांधी ने अहिंसा के आधार पर देश को आजाद कराया, सारी दुनिया को भारतीय संस्कृति का महत्व समझाया, विदेशी सरकारों को भारत से बाहर किया, हिंदी गाय का भारत में महत्व स्थापित किया। वह गांधी मार खाता रहा लेकिन जीवन में किसी पर हाथ नहीं उठाया। यहां तक कि उस गांधी ने देश के लोगों को यह संदेश दिया कि यदि एक गाल पर कोई मारे, तो भले ही दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से मत दो। उस गांधी को आज मरने के बाद भी सारी दुनिया में सम्मान से देखा जा रहा है। एक दूसरे गांधी को अब हम भारत में देख रहे हैं। यह गांधी कराटे सिखा रहा है, यह गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहा है कि हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे। यह गांधी संसद भवन में अंदर जाने के लिए बल प्रयोग का सहारा ले रहा है, यह गांधी दूसरों को धक्का दे रहा है। इस गांधी को न कोई कानून का भय है, न संविधान का भय है। यह गांधी एक तरफ मोहब्बत की दुकान चलाता है और दूसरी तरफ बल प्रयोग भी कर रहा है। गंभीरता से विचार करने की बात है कि हम आज भारत को किस गांधी की जरूरत है, एक भारतीय गांधी और एक इटालियन गांधी।

धक्कामुक्की आज के गाँधी की विशेषता:

विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने संसद में अपनी श्रेष्ठतम योग्यता का परिचय दिया। उन्होंने अपने जीवन में कराटे सीखने में बहुत ताकत लगाई और कराटे में उन्होंने अधिकतम योग्यता प्राप्त की। कराटे के मामले में उन्हें प्रमुख व्यक्तियों में गिना जाता है। उन्होंने संसद में अपनी शक्ति का प्रयोग भी किया और उन्होंने एक साथ कई लोगों को धक्का देकर बता दिया कि उनकी विद्या में कितनी ताकत है। लेकिन मेरे विचार से अगर राहुल गांधी ने कराटे में इतनी अधिक ताकत न लगाकर अपनी तर्क शक्ति को जागृत किया होता, तो शायद संसद में ज्यादा उपयोगी होते। संसद कराटे की योग्यता दिखाने का स्थान नहीं है। मैंने तो अपने सारे मित्रों को जीवन भर यही समझाया कि आप सामान्य कराटे सीख जाओ, वहां तक ठीक है, लेकिन कराटे में अधिक योग्यता प्राप्त करना अपने समय का भी दुरुपयोग है और घातक भी है। और यह बात साफ हुई कि राहुल गांधी ने जो कुछ संसद में किया, उससे उनके गुंडागर्दी की छवि बनी है, शराफत की नहीं, विचारक की नहीं, तर्कशील व्यक्ति की नहीं। मैं पहले भी राहुल गांधी को गलत मानता रहा और अब तो और ही ज्यादा गलत मानता हूं। राहुल गांधी ने जिस तरह कराटे का प्रचार करना शुरू किया है, वह बहुत घातक है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं, और राहुल गांधी सरीखा अगर सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति लोगों को कराटे का प्रवचन देता है, तो राहुल गांधी को मूर्ख कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।